

टाप शीट

संचालन नियम संख्या इज्जत/62

लागू तिथि 4.01.2013

काशीपुर-बाजपुर स्टेशन के मध्य इंजी० गेट संख्या 38/C की सामान्य स्थिति "बन्द" से "खुला" तथा गेट सं० 37 Sp1 पर चेतावनी धंटी के प्रावधान के सम्बन्ध में काशीपुर स्टेशन के संचालन नियम संख्या इज्जत/62 दिनांक 2.7.2012 की संशोधन पर्ची संख्या 1 दिनांक 10.12.2012

संशोधन के कारण निम्नलिखित पृष्ठों को बदल दिया गया :-

सामान्य भाग :-

1. पृष्ठ संख्या 4 पैरा 2.6 संशोधित
2. पृष्ठ संख्या 18 पैरा 7 संशोधित
3. पृष्ठ संख्या 19 पैरा 7 का (ii) संशोधित

सिगनलिंग परिशिष्ट :-

1. परिशिष्ट 'क-IV' गेट संख्या 37/C पृष्ठ संख्या 7 संशोधित
2. परिशिष्ट 'क-V' गेट संख्या 38/C पृष्ठ संख्या 1 से 10 तक गेट अनुदेश संशोधित

(अतुल सिंह)
मण्डल सिगनल एवं दूरसंचार इंजी०/इज्जतनगर

(के०एस०सोनाल)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा०)/इज्जतनगर

पूर्वोत्तर रेलवे

इज्जतनगर मण्डल

संख्या—इज्जतनगर/62

जारी तिथि 2.7.2012

लागू तिथि 9.7.2012

पुनरीक्षण तिथि July-2017

काशीपुर जं० स्टेशन के कार्य संचालन हेतु नियम (बड़ी लाइन)

“बी” श्रेणी इकहरी लाइन अन्तर्पाशित मानक—I टू आसपेक्ट लोअर क्वाड्रेन्ट सेमाफोर सिगनलो सहित

पूर्ण ब्लाक पद्धति पर संचालित

(साधा० एवं सहा० नियम 8.01(1) (क) (ग), (2) (क), 8.03(2) (क) (ख) (ग) (i), 8.09, 8.10, 8.11 8.13 से 8.15 देखें)

टिप्पणी :1.संचालन नियम संख्या इज्जतनगर/62 दिनांक 28.4.2008 को निरस्त करके निम्नलिखित संशोधित नियमों को लागू किया जायेगा ।

2. इन स्टेशन संचालन नियमों को पूर्वोत्तर रेलवे पर लागू साधारण एवं सहायक नियमों के साथ जिसकी एक प्रति कार्यरत स्टेशन मास्टर के पास हर समय उपलब्ध रहेगी, पढ़ा जाना चाहिये ।

ये नियम किसी भी परिस्थिति में साधारण एवं सहायक नियमों का अतिक्रमण नहीं करते ।

1. स्टेशन संचालन नियम आरेख (रूल डायग्राम) :-

सी०एस०टी०ई०/गोरखपुर की एस०आई०पी० संख्या सी०एस०टी०ई०/नियोजन/99(वाई०डी०)/20 आल्टरेशन 'एस' पर आधारित इस स्टेशन का नियमांश सं० 520 दिनांक 04.2.2008 /Alt;C' दिनांक 30.3.2012 सलग्न है जिसमें कॉटों, सिगनलो तथा लाइनो की सामान्य स्थिति दर्शायी गयी है । दुर्घटनाओं आदि का विवरण देते समय उसमें प्रदर्शित कॉटो तथा लाइनो की संख्या का उल्लेख करना आवश्यक है ।

2. स्टेशन का विवरण :

2.1. सामान्य (स्थिति) :-

काशीपुर जं० स्टेशन लालकुआ जं० – रामनगर मार्ग पर इकहरी बड़ी लाइन पर “बी” श्रेणी का स्टेशन है। यह स्टेशन मुरादाबाद जं० से 50.31 किलोमीटर, रामनगर से 27.36 किमी० तथा लालकुआ जं० से 58.34 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ।

2.2. तीनों ओर के ब्लाक स्टेशन, आई०बी०एच०, आई०बी०एस० तथा उनकी दूरी और बाहरी साइडिंगें :

रामनगर (पूर्व दिशा में) :-

27.36 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।

अलीगंज (पश्चिम दिशा में) मुरादाबाद की ओर :- 11.27 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।

बाजपुर (पश्चिम दिशा में) लालकुआ की ओर :- 20.12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं।

(अतुल सिंह)

मण्डल सिगनल एवं दूरसंचार/इज्जतनगर

(के०एस०सोनाल)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक/इज्जतनगर

(i) **आई०बी०एच०, आई०बी०एस० की स्थिति :-**

इस स्टेशन के दोनों ओर कोई आई०बी०एच० तथा आई०बी०एस० नहीं है।

(ii) **बाहरी साइडिंगें :-** कोई नहीं।(iii) **हाल्ट स्टेशन :-**

1. गौशाला हाल्ट इस स्टेशन से 12.07 किलोमीटर की दूरी पर काशीपुर- रामनगर के मध्य स्थित है।
2. पीरूमदारा हाल्ट इस स्टेशन से 18.51 किलोमीटर की दूरी पर काशीपुर- रामनगर के मध्य स्थित है।
3. सरकरा हाल्ट इस स्टेशन से 12.07 किमी० की दूरी पर काशीपुर- बाजपुर के मध्य स्थित है।

2.3. **स्टेशन के तीनों ओर के ब्लाक खण्ड :**

स्टेशनो के बीच	वह स्थान जहाँ से ब्लाक खण्ड शुरू होता है।	वह स्थान जहाँ ब्लाक खण्ड समाप्त होता है।
काशीपुर-रामनगर	अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल 10 (काशीपुर)	अप होम सिगनल (रामनगर)
काशीपुर- बाजपुर	डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं० 36 (काशीपुर)	अप शंटिंग लिमिट बोर्ड (बाजपुर)
काशीपुर-अलीगंज	डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल संख्या 15 (काशीपुर)	अप शंटिंग लिमिट बोर्ड (अलीगंज)

2.4 **ढलान ;(ग्रेडियेन्ट) यदि कोई हो :**

यार्ड में समतल एवं होम सिगनल संख्या 47/48 से लालकुआ की ओर 360 में 1 का अधोगामी ढलान है तथा रामनगर साइड में कांटा संख्या 14 से आगे 500 में 1 का ऊर्ध्वगामी ढलान है।

2.5 **अभिन्यास (ले-आउट) :**

अभिन्यास 9 लाइनों का है। लाइन संख्या 1 से 5 परिचालित है तथा लाइन संख्या 6 से 9 तक अपरिचालित लाइने हैं।

2.5.1 **परिचालित लाइने तथा उनकी स्पष्ट धारक लम्बाई मीटर में (CSR) :**

(क)

परिचालित लाइन संख्या	स्पष्ट धारक लम्बाई मीटर में (CSR)	टिप्पणी
1	686 मीटर	प्लेटफार्म लाइन
2	737 मीटर	मैन लाइन
3	720 मीटर	लूप लाइन
4	686 मीटर	प्लेटफार्म लाइन
5	686 मीटर	प्लेटफार्म लाइन

(अतुल सिंह)

मण्डल सिगनल एवं दूरसंचार/इज्जतनगर

(के०एस०सोनाल)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक/इज्जतनगर

- (ख) परिचालित लाइन संख्या-2, अलीगंज तथा रामनगर के मध्य सीधी लाइन है।
- (ग) अलीगंज एवं रामनगर की ओर से /को आने / जाने वाली अप अथवा डाउन गाड़ियों किसी भी परिचालित लाइन पर /से ली अथवा भेजी जा सकती है। लालकुआ की ओर से /को आने /जाने वाली अप अथवा डाउन गाड़ियाँ लाइन संख्या 4 एवं 5 पर / से ही ली अथवा भेजी जा सकती है।

2.5.2. अपरिचालित लाइने, उनकी स्पष्ट धारक लम्बाई मीटर में (CSR) :

लाइन संख्या	विवरण	स्पष्ट धारक लम्बाई मीटर में (CSR)	टिप्पणी
6	रेक हैण्डलिंग साइडिंग	686 मीटर	रेल लेबिल प्लेटफार्म सहित
7	मालगोदाम लाइन	250 मीटर	डाक एण्डेड प्लेटफार्म लाइन
8	पर्यटक साइडिंग	80 मीटर	प्लेटफार्म युक्त
9	रेक हैण्डलिंग साइडिंग	686 मीटर	रेल लेबिल प्लेटफार्म उपलब्ध

2.5.3 अभिन्यास (ले-आउट) में असामान्य बातें : कुछ नहीं।

विचलन- सामान्य नियम 3.40 (1) (बी) के अनुसार अप एवं डाउन गाड़ियों का आगमन हेतु सामान्यतया पर्याप्त दूरी रूकने के स्थान से मापी गयी है।

2.6 समपार फाटक :

- i) स्टेशन सीमा के अन्दर तथा स्टेशन सीमा के बाहर स्थित समपार फाटको की श्रेणी, स्थिति एवं संचालन के लिये उत्तरदायी कर्मचारियों का विवरण नीचे दिया गया है।

गेट सं0	श्रेणी	स्थिति	सामान्य दशा	संचालन के लिये उत्तरदायी कर्मचारी	अन्तर्पा- शित है या नहीं	संचार साधन	गाड़ी चालित चेतावनी घन्टी
परिचालन समपार फाटक							
37	बी	डाउन अग्रिम प्रस्थान और अप होम सिगनल के मध्य (ALJ Side) किमी0 49/1-2	सड़क याता यात हेतु खुला	कार्यरत गेटमैन	है	स्टेशन मास्टर एवं पश्चिम केबिन के साथ टेलीफोन	नहीं
38	बी	अप होम सिगनल एवं अप सम्मुख काँटा सं0 21 के मध्य (ALJ Side)	सड़क यातायात के लिये खुला।	कार्यरत केबिनमैन (प0केबिन)	है	स्टेशन मास्टर एवं पश्चिम केबिन के साथ टेलीफोन	नहीं
39	बी	काँटा सं0 15 तथा डाउन होम सिगनल के मध्य (RMR Side)	सड़क यातायात के लिये खुला	कार्यरत केबिनमैन पूर्व केबिन	है	स्टेशन मास्टर एवं पूर्व केबिन के साथ टेलीफोन	नहीं

(अतुल सिंह)

मण्डल सिगनल एवं दूरसंचार/इज्जतनगर

(के0एस0सोनाल)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक/इज्जतनगर

42	बी	डाउन आउटर सिगनल तथा अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल के मध्य किमी० 50/11-12 (RMR Side)	सड़क यातायात के लिये खुला	कार्यरत गेटमैन	है	स्टेशन मास्टर एवं पूर्व केबिन के साथ टेलीफोन	नहीं
43	बी	अप आउटर सिगनल तथा डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल के मध्य किमी० 57/15-58/0 (BPZ Side)	सड़क यातायात हेतु खुला	कार्यरत गेटमैन	है	स्टेमा० एवं पश्चिम केबिन के साथ टेलीफोन	नहीं
इंजीनियरिंग समपार फाटक							
31	सी	काशीपुर—अलीगंज के मध्य किमी० सं० 44/6-7	सड़क यातायात हेतु खुला	कार्यरत गेटमैन	नहीं	स्टेशन मास्टर के साथे टेलीफोन	नहीं
32	सी	काशीपुर—अलीगंज के मध्य किमी सं० 45/6-7	सड़क यातायात हेतु खुला	कार्यरत गेटमैन	नहीं	स्टेशन मास्टर के साथे टेलीफोन	नहीं
33	सी	काशीपुर—अलीगंज किमी० संख्या 45/12-13	सड़क यातायात हेतु खुला	कार्यरत गेटमैन	नहीं	स्टेशन मास्टर के साथ टेलीफोन	नहीं
37	स्पे०	काशीपुर—बाजपुर के मध्य किमी० सं० 51/13-14	सड़क यातायात हेतु खुला	कार्यरत गेटमैन	है	स्टेशन मास्टर के साथ टेलीफोन	है
38	सी	काशीपुर—बाजपुर के मध्य किमी० सं० 52/12-13	सड़क यातायात हेतु खुला	कार्यरत गेटमैन	नहीं	स्टेशन मास्टर के साथ टेलीफोन	नहीं
41	सी	काशीपुर—बाजपुर के मध्य किमी० सं० 56/5-6	सड़क यातायात हेतु खुला	कार्यरत गेटमैन	नहीं	स्टेशन मास्टर के साथ टेलीफोन	नहीं
42 A	सी	काशीपुर—रामनगर के मध्य किमी सं० 51/15-52/0	सड़क यातायात हेतु खुला	कार्यरत गेटमैन	नहीं	स्टेशन मास्टर के साथ टेलीफोन	नहीं

(अतुल सिंह)

मण्डल सिगनल एवं दूरसंचार/इज्जतनगर

(के०एस०सोनाल)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक/इज्जतनगर

43	बी	काशीपुर—रामनगर के मध्य किमी० सं० 52/6-7	सड़क यातायात हेतु खुला	कार्यरत गेटमैन	है	स्टेशन मास्टर के साथ टेलीफोन	नहीं
44	सी	काशीपुर—रामनगर के मध्य किमी० सं० 53/13-14	सड़क यातायात हेतु खुला	कार्यरत गेटमैन	नहीं	स्टेशन मास्टर के साथ टेलीफोन	नहीं
45 A	सी	काशीपुर—रामनगर के मध्य किमी० सं० 61/11-12	सड़क यातायात हेतु खुला	कार्यरत गेटमैन	है	स्टेशन मास्टर के साथ टेलीफोन	नहीं

ii) समपार फाटको के संचालन से सम्बन्धित विस्तृत अनुदेशों के लिये परिशिष्ट "क" से "क"—XIV देखें ।

3. संचालन की पद्धति एवं साधन :

अगल—बगल के ब्लाक स्टेशनों रामनगर, अलीगंज तथा बाजपुर से इकहरी लाइन पर पूर्ण ब्लाक पद्धति कार्य प्रणाली लागू है ।

प्रदत्त ब्लाक यन्त्र के प्रकार	सहकारी/असहकारी	संचालन के लिये उत्तरदायी कर्मचारी	जिनके पास चाबी रखना है	टिप्पणी
दूरभाष युक्त नील का विद्युत ब्लाक टोकेन यन्त्र रामनगर स्टेशन से सम्बद्ध	सहकारी	कार्यरत स्टेशन मास्टर	कार्यरत स्टेशन मास्टर	—
दूरभाष युक्त नील का विद्युत ब्लाक टोकेन यन्त्र अलीगंज स्टेशन से सम्बद्ध	सहकारी	कार्यरत स्टेशन मास्टर	कार्यरत स्टेशन मास्टर	—
दूरभाष युक्त नील का विद्युत ब्लाक टेबलेट यन्त्र बाजपुर स्टेशन से सम्बद्ध	सहकारी	कार्यरत स्टेशन मास्टर	कार्यरत स्टेशन मास्टर	—

(सहायक नियम 14.01(क)(?k), 14.02, से 14.08, 14.10, से 14.12 एवं पूर्वोत्तर रेलवे की साधारण एवं सहायक नियम पुस्तक का परिशिष्ट "घ" देखें)

टिप्पणी : कार्यरत स्टेशन मास्टर यह सुनिश्चित करने के लिये उत्तरदायी होगा कि अन्य कोई नहीं अपितु वह स्वयं ही विद्युत ब्लाक यन्त्रों को संचालित करता है । सहा० नियम 14.02(V), साधा० नियम 14.04 तथा साधा० एवं सहा० नियम 14.13 देखें ।

(अतुल सिंह)

मण्डल सिगनल एवं दूरसंचार/इज्जतनगर

(के०एस०सोनाल)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक/इज्जतनगर

4. संकेतन एवं अन्तर्पाशन (Signalling and Interlocking) की पद्धति :

विशेष संकेतन के लक्षणों सहित संकेतन के प्रकार :

काशीपुर स्टेशन पूर्व तथा पश्चिम केबिन से प्रचालित, टू आस्पैक्ट लोअर क्वाड्रेंट सेमाफोर सिगनलो वाला मानक -I इन्टरलाकड स्टेशन है। कार्यरत स्टेशन मास्टर एक 20 स्विच वाले स्विच नियन्त्रण पैनल द्वारा होम सिगनल तथा अग्रिम प्रस्थान सिगनल पर नियन्त्रण रखता है। इस स्टेशन पर परिचालित लाइन संख्या 1, 2, 3, 4, एवं 5 ट्रैक सर्किटेड है। तीनों ओर के वार्नर सिगनल आन स्थिति में फिक्सड है। सभी कांटे व सिगनल मैकेनिकली आपरेटेड है

प्रदत्त सिगनल – अप एवं डाउन आगमन एवं प्रस्थान सिगनल, शंट सिगनलो तथा स्टेशन मास्टर स्वीच नियन्त्रण पैनल के परिचालन से सम्बन्धित पूर्ण विवरण के लिए परिशिष्ट 'ख' पैरा 3, 4 व 8 देखें।

(इ) **रिपीटर :-**

(i) अप होम सिगनल बाजपुर साइड के लिये बैनर रिपीटर प्रदत्त है।
(सहायक नियम 3.16 देखें)

(ii) बाजपुर की ओर के आउटर सिगनल एवं वार्नर सिगनल केबिन से नहीं दिखायी देते जिसके लिये केबिन में आर्म एवं लाइट रिपीटर प्रदत्त है।

(च) **आन इंडिकेटर :-**

स्टेशन मास्टर कार्यालय में आउटर सिगनल संख्या 29, 49 और 25 के लिये 'आन' इंडिकेटर प्रदत्त हैं। कार्यरत स्टेशन मास्टर लाइन क्लीयर देने से पहले अवश्य सुनिश्चित करें कि प्रथम रोक सिगनल अर्थात् आउटर सिगनल 'आन' स्थिति में है। 'आन' इंडिकेटर की विफलता की दशा में स्टेशन मास्टर को सम्बन्धित केबिनमैन से प्राइवेट नम्बर के आदान-प्रदान के द्वारा लाइन क्लीयर देने से पहले सुनिश्चित कर लेना चाहिये कि सिगनल 'आन' स्थिति में हैं।

(साधारण एवं सहायक नियम 3.23 देखें)

4.1(क) यार्ड के पूर्वी छोर (रामनगर की ओर) पर स्थित काँटें तथा सिगनल पूर्व केबिन में प्रदत्त 40 लीवरों वाले लीवर फ्रेम द्वारा प्रचालित होते हैं।

(ख) यार्ड के पश्चिमी छोर (बाजपुर तथा अलीगंज की ओर) पर स्थित काँटें तथा सिगनल पश्चिम केबिन में प्रदत्त 60 लीवरों वाले लीवर फ्रेम द्वारा प्रचालित होते हैं।

(ग) स्टेशन मास्टर कार्यालय, पूर्व तथा पश्चिम केबिन में काँटों एवं सिगनलों की स्थिति दर्शाता हुआ एक-एक चित्र आरेख प्रदत्त है।

(घ) कार्यरत स्टेशन मास्टर का आगमन तथा प्रस्थान सिगनलों पर नियन्त्रण स्टेशन मास्टर कार्यालय में प्रदत्त 20 स्विचों वाले स्टेशन मास्टर के स्विच नियन्त्रण पैनल द्वारा निष्पादित किया जाता है। स्विचों को नार्मल अथवा रिवर्स स्थिति में पाशित किया जा सकता है। स्विच नियन्त्रण पैनल की चाबी कार्यरत स्टेशन मास्टर की निजी अभिरक्षा में रहनी चाहिए।

(इ) अप होम सिगनल के लिये पूर्व केबिनमैन पर कार्यरत केबिन द्वारा तथा डाउन होम सिगनल के लिये पश्चिम केबिनमैन पर कार्यरत केबिनमैन द्वारा स्लाट दिये जाते हैं। अग्रिम प्रस्थान सिगनल सम्बन्धित ब्लाक यन्त्रों की 'टेन गोइंग टू' की स्थिति द्वारा नियंत्रित हैं। होम सिगनलों तथा अग्रिम प्रस्थान सिगनलों को तब तक 'आफ' नहीं किया जा सकता जब तक कार्यरत स्टेशन मास्टर सम्बन्धित स्विच को रिवर्स करके उन सिगनलों पर अपना नियन्त्रण मुक्त नहीं करता। तीनों दिशाओं के आउटर एवं होम सिगनल मोटर चालित हैं। आउटर सिगनल तब तक 'आफ' नहीं किये जा सकते जब तक होम सिगनल को पहले 'आफ' न कर दिया जाय। सिगनलों की विस्तृत कार्य विधि के लिये स्टेशन संचालन नियम के परिशिष्ट 'ख' को देखें।

(अतुल सिंह)

मण्डल सिगनल एवं दूरसंचार/इज्जतनगर

(के0एस0सोनाल)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक/इज्जतनगर

टिप्पणी:- संकेतक उपकरणों, स्टेशन मास्टर कार्यालय, पूर्व तथा पश्चिम केबिन में प्रदत्त विभिन्न संकेतों का विवरण संकेतन परिशिष्ट 'ख' में दिया गया है। सिगनलों की विफलता की दशा में गाड़ियों का संचालन साधारण एवं सहायक नियम 3.68, 3.69, 3.70 के अनुसार होगा।

4.1.1 काँटा इण्डिकेशन :-

प्रत्येक केबिन के चित्र आरेख में काँटों के सामान्य अथवा विपरीत स्थिति में पूर्णतया सैट एवं लाक होने के संकेत क्रमशः 'एन' तथा 'आर' सूक्ष्म अक्षर द्वारा विद्युत प्रकाशित प्रदर्शित है। पूर्व तथा पश्चिम केबिन में प्रदत्त इन काँटों का पूर्ण विवरण परिशिष्ट 'ख' में दिया गया है। काँटा संकेतकों की विफलता की दशा में कार्यरत केबिनमैन को व्यक्तिगत रूप से काँटे में गिट्टी अथवा अन्य अवरोध की जाँच करके उसे दूर करना चाहिए। तदोपरान्त यदि उचित लीवर खींचने से सिगनल 'आफ' हो जाता है तो सामान्य प्रचालन जारी रखना चाहिए अन्यथा विफलता मानी जायेगी।

4.1.2 ट्रैक सर्किटिंग :-

परिचालित लाइन संख्या 1 से 5 तक सभी ट्रैक सर्किटेड है। स्टेशन मास्टर कार्यालय में चित्र आरेख पर सम्बन्धित लाइन के ट्रैक सर्किटेड भाग को अतिरिक्त मोटी रंगीन रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया गया है। जब ट्रैक सर्किटेड भाग आक्यूपाइड/विफल होता है, तब चित्र आरेख में इस भाग पर सूक्ष्म लाल प्रकाश जलेगा। इन ट्रैक सर्किटों का पूर्ण विवरण परिशिष्ट 'ख' में दिया गया है। ट्रैक सर्किट की विफलता की स्थिति में इसे आक्यूपाइड मानकर अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में स्टेशन मास्टर/केबिनमैन द्वारा ट्रैक सर्किट रिक्त होने को सुनिश्चित भौतिक सत्यापन द्वारा करना अनिवार्य है।

4.1.3 लीवर कालर तथा स्विच स्टापर :-

किसी भी परिचालित लाइन को ट्रैक सर्किट की विफलता की स्थिति में यदि अवरुद्ध किया जाय तो स्टेशन मास्टर/केबिनमैन की स्मृति की सहायता हेतु अवरुद्ध लाइन पर स्विच स्टापर तथा लीवर कालर को लगाना चाहिए। सहायक नियम 5.19(5)(i)(ii) देखें।

4.1.4 स्लाटिंग :-

स्टेशन पर होम तथा अग्रिम प्रस्थान सिगनल आगमन/प्रस्थान के लिये स्लाटेड सिगनल हैं तथा केबिनमैन एवं स्टेशन मास्टर के सम्मिलित प्रयास से ही 'आफ' किये जा सकते हैं किन्तु आपात स्थिति में तीनों में से कोई एक ऐजेन्सी अपने स्लाट लीवर / स्विच को सामान्य स्थिति में वापस करके सिगनल को सामान्य स्थिति में ला सकता है।

4.1.5 स्थाई रूप से ताला बन्द काँटे/पृथक्करण (आइसोलेशन) :

काँटा संख्या	विवरण	संकेतक लगे है या नहीं	सेट करने की सामान्य स्थिति	चाबी द्वारा नियन्त्रित	मोटर चालित/ यन्त्र चालित	टिप्पणी
101X	डबल एच0 पी0 के0 लाक ट्रेप काँटा	हैं	लाइन सं0 8 से गिराने के लिये खुली स्थिति में सेट एवं पाशित	13 आर	यन्त्र चालित	चाबी 13 आर एच0के0टी0 द्वारा पश्चिम ट्रांसमिट की जाती है
101	सिंगल एच0 पी0 के0 लाक काँटा	नहीं	क्रास ओवर के विपरीत लाइन संख्या 1 हेतु सेट तथ पाशित	एस	यन्त्र चालित	चाबी 'एस' काँटा सं0 101X पर दोहरे एच0पी0के0 लाक में पाशित रहती है

(अतुल सिंह)

मण्डल सिगनल एवं दूरसंचार/इज्जतनगर

(के0एस0सोनाल)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक/इज्जतनगर

102A	डबल एच० पी० के० लाक काँटा	नहीं	लाइन सं० 7 के लिये तथा क्रास ओवर के विपरीत सेट एवं पाशित	11 आर	यान्त्रिक	चाबी 11-R एचकेटी द्वारा पूर्व केबिन से प्रेशित की जाती है
102	सिंगिल एच० पी० के० लाक काँटा	नहीं	क्रास ओवर के विपरीत लाइन संख्या 1 हेतु सेट तथ पाशित	एस-1	यान्त्रिक	चाबी एस-1 काँटा सं० 102A पर दोहरे एच०पी०के० लाक मे पाशित रहती है
103X	डबल एच० पी० के० लाक काँटा	हैं	लाइन सं० 7 से गिराने के लिये खुली स्थिति में सेट एवं पाशित	12 आर	यान्त्रिक	चाबी 12-R एचकेटी द्वारा पूर्व केबिन से प्रेशित की जाती है
103	सिंगिल एच० पी० के० लाक काँटा	नहीं	क्रास ओवर के विपरीत लाइन संख्या 1 हेतु सेट तथ पाशित	एस-2	यान्त्रिक	चाबी एस-2 काँटा सं० 103X पर दोहरे एच०पी०के० लाक मे पाशित रहती है
104X	सिंगिल एच० पी० के० लाक काँटा	हैं	लाइन सं० 9 से गिराने के लिये खुली स्थिति मे सेट एवं पाशित	12 आर	यन्त्र चालित	चाबी 12-R एच०के०टी० द्वारा पश्चिम केबिन से प्रेशित की जाती है
105A	डबल एच० पी० के० लाक काँटा	नहीं	लाइन सं० 3 के लिये तथा क्रास ओवर के विपरीत सेट एवं पाशित	22 आर	यान्त्रिक	चाबी 22R एच के टी द्वारा पश्चिम केबिन से प्रेशित की जाती है
105	सिंगिल एच० पी०के० लाक काँटा	नहीं	क्रास ओवर के विपरीत लाइन संख्या 4 हेतु सेट तथ पाशित	एस-3	यान्त्रिक	चाबी एस-3 काँटा सं० 105A पर दोहरे एच०पी०के०लाक मे पाशित रहती है
106X	सिंगिल एच० पी० के० लाक काँटा	हैं	लाइन सं० 6 से गिराने के लिये खुली स्थिति मे सेट एवं पाशित	40.आर	यन्त्र चालित	चाबी 40-R एचकेटी द्वारा पश्चिम केबिन से प्रेशित की जाती है
106	सिंगिल एच० पी० के० लाक काँटा	नहीं	क्रास ओवर के विपरीत लाइन संख्या 5 हेतु सेट तथ पाशित	एस-4	यान्त्रिक	चाबी एस-4 काँटा सं० 106X पर दोहरे एच०पी०के०लाक मे पाशित रहती है
107X	डबल एच० पी० के० लाक काँटा	हैं	लाइन सं० 6 से गिराने के लिये खुली स्थिति में सेट एवं पाशित	37 आर	यान्त्रिक	चाबी 37-R एचकेटी द्वारा पूर्व केबिन से प्रेशित की जाती है
107	सिंगिल एच० पी० के० लाक काँटा	नहीं	क्रास ओवर के विपरीत लाइन संख्या 5 हेतु सेट तथ पाशित	एस-5	यान्त्रिक	चाबी एस-5 काँटा सं० 107X पर दोहरे एच०पी०के०लाक मे पाशित रहती है

(अतुल सिंह)

मण्डल सिगनल एवं दूरसंचार/इज्जतनगर

(के०एस०सोनाल)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक/इज्जतनगर

टिप्पणी:— अन्तर्पार्शन की विफलता की दशा में उपरोक्त कांटे स्थायी रूप से ताला बन्द कांटे श्रेणी 'बी' माने जायेंगे और आगमन तथा प्रस्थान के समय क्लैम्प करके ताला बन्द किये जाने चाहिए ।

1. एच0पी0के0लाक प्रदत्त काँटों की कार्य विधि की प्रक्रिया स्टेशन संचालन नियम के परिशिष्ट 'ख' के पैरा 6 एवं 7 में दी गयी है ।
2. परिचालित लाइनों पर लगे काँटों को पूर्व और पश्चिम केबिन द्वारा प्रचालित किया जाता है । केबिन द्वारा प्रचालित किये जाने वाले काँटों के अतिरिक्त अन्य काँटे हाथों से प्रचालित किये जाते हैं तथा समीप लगे लीवरों द्वारा स्थानीय परिचालन किया जाता है ।

3. **इंडिकेटर सहित टैप काँटे :-**

101 एक्स, 106 एक्स, 104 एक्स, 107 एक्स, 103एक्स

4.1.6 **विद्युत चालित काँटा मशीन/कैन्क हैण्डिल :-**

इस स्टेशन पर कोई विद्युत चालित काँटा नहीं है ।

4.2 **रिले कक्ष की चाबियों की सुरक्षा और स्टेशन मास्टर तथा सिगनल एवं दूर संचार विभाग के अनुरक्षण कर्मचारियों के बीच इन्हें लेने-देने की कार्य पध्दति :-**

इस स्टेशन पर रिले रूम की व्यवस्था है । जिसमें सभी परिचालित लाइनों की ट्रैक सर्किटिंग की रिले लगायी गयी है । रिले रूम को दोहरे ताले से (स्टेशन मास्टर एवं एस0एण्ड टी0) बन्द किया जाना चाहिए । आवश्यकता पड़ने पर खोलने के लिये स्टेशन मास्टर कार्यालय में अनुरक्षित पंजिका पर एस0एण्ड टी0 कर्मचारी द्वारा रिले रूम खोलने के उद्देश्य के साथ प्रविष्टि करने के पश्चात ही स्टेशन मास्टर रिले रूम की चाबी एस0एण्ड टी0 स्टाफ को सौपेगा ।

4.3 **विद्युत आपूर्ति :-**

विद्युत विफलता की स्थिति में ट्रैक सर्किटिंग एवं अन्य काँटा संकेतों को प्रकाशित करने के लिये वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में दोनों केबिनों एवं स्टेशन पर सेकेन्डरी सैल्स एवं चार्जिंग की व्यवस्था की गयी है ।

5. **दूरसंचार :**

- i) इज्जतनगर नियन्त्रण कार्यालय से सम्बद्ध कन्ट्रोल टेलीफोन
- ii) स्टेशन पर प्रदत्त बी0एस0एन0एल0 फोन
- iii) रामनगर स्टेशन के नील्स टोकेन उपकरण से सम्बद्ध साइड टेलीफोन
- iv) अलीगंज स्टेशन के नील्स टोकेन उपकरण से सम्बद्ध साइड टेलीफोन
- v) बाजपुर स्टेशन के नील्स टैबलेट उपकरण से सम्बद्ध साइड टेलीफोन
- vi) पूर्व केबिन तथा पश्चिम केबिन से अलग-अलग स्टेशन मास्टर के साथ मैगनेटो टेलीफोन
- vii) इंजीनियरिंग समपार फाटक सं0 31/C (काशीपुर-अलीगंज) के साथ टेलीफोन
- viii) इंजीनियरिंग समपार फाटक सं0 32/C (काशीपुर-अलीगंज) के साथ टेलीफोन
- ix) इंजीनियरिंग समपार फाटक सं0 33/C (काशीपुर-अलीगंज) के साथ टेलीफोन
- x) ट्रैफिक समपार फाटक सं0 37/C (काशीपुर-अलीगंज) के साथ टेलीफोन
- xi) इंजीनियरिंग समपार फाटक सं0 41/C (काशीपुर-बाजपुर) के साथ टेलीफोन
- xii) ट्रैफिक समपार फाटक सं0 43/B (काशीपुर-बाजपुर) के साथ टेलीफोन
- xiii) इंजीनियरिंग समपार फाटक सं0 37/Spl (काशीपुर-बाजपुर) के साथ टेलीफोन

(अतुल सिंह)

मण्डल सिगनल एवं दूरसंचार/इज्जतनगर

(के0एस0सोनाल)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक/इज्जतनगर

- xiv) इंजीनियरिंग समपार फाटक सं० 38/C (काशीपुर-बाजपुर) के साथ टेलीफोन
- xv) ट्रैफिक समपार फाटक सं० 42/B (काशीपुर-रामनगर) के साथ टेलीफोन
- xvi) इंजीनियरिंग समपार फाटक सं० 42A/C (काशीपुर-रामनगर) के साथ टेलीफोन
- xvii) इंजीनियरिंग समपार फाटक सं० 43/B (काशीपुर-रामनगर) के साथ टेलीफोन
- xviii) इंजीनियरिंग समपार फाटक सं० 44/C (काशीपुर-रामनगर) के साथ टेलीफोन
- ixx) इंजीनियरिंग समपार फाटक सं० 45A/C (काशीपुर-रामनगर) के साथ टेलीफोन
- xx) वी०एच०एफ० सैट 15 वाट एवं 5 वाट

संचार व्यवस्था की विफलता की अवधि में गाड़ी संचालन हेतु सिगनल परिशिष्ट 'ख' के पैरा 11 में उल्लिखित नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

6. गाड़ी संचालन :

कार्यरत स्टेशन मास्टर, स्टेशन के तथा गाड़ियों के आगमन और प्रस्थान संचालन से सम्बद्ध सभी मामलों के लिये स्टेशन संचालन का सर्वोपरि प्रभारी है। पूर्व एवं पश्चिम केबिनो में कार्यरत केबिनमैन तथा गाड़ी संचालन से सम्बद्ध अन्य कर्मचारी उसके आदेश तथा निर्देशों के अर्न्तगत कार्य करेंगे। साधारण एवं सहायक नियम 3.37 से 3.40, 3.42 तथा 4.35 का अनुपालन किया जायेगा।

6.(क) गाड़ियों का आगमन :

(1) बाजपुर की ओर से गाड़ियों का आगमन :-

- (i) बाजपुर की ओर से गाड़ियों का आगमन लाइन संख्या 4 तथा 5 में ही किया जा सकता है।
- (ii) कार्यरत स्टेशन मास्टर यह सुनिश्चित करने के बाद कि लाइन, जिस पर वह गाड़ी लेना चाहता है, साफ एवं बाधा रहित है, यार्ड के दोनों छोरों पर स्थित केबिनो में कार्यरत केबिनमैनो को गाड़ी की संख्या, गाड़ी का विवरण, दिशा जिधर से गाड़ी आ रही है तथा लाइन संख्या जिस पर गाड़ी ली जायेगी, के सम्बन्ध में प्राइवेट नम्बर द्वारा अनुपोषित निर्देश देगा।
- (iii) यार्ड के अनुमुख छोर पर स्थित पूर्व केबिन पर कार्यरत केबिनमैन, सुनिश्चित करने के बाद कि उसके अधिकार क्षेत्र में लाइन साफ एवं बाधा रहित है, उपयुक्त मार्ग सैट एवं पाशित करेगा तत्पश्चात् स्टेशन मास्टर को एक प्राइवेट नम्बर द्वारा अनुपोषित सूचना देगा।
- (iv) पूर्व केबिन पर कार्यरत केबिनमैन उपयुक्त स्लाट लीवर खींचने से पूर्व गेट संख्या 39/बी को सम्बन्धित गेट परिशिष्ट में दिये गये निर्देशानुसार बन्द एवं पाशित करेगा।
- (v) यार्ड के सम्मुख छोर पर स्थित पश्चिम केबिन में कार्यरत केबिनमैन, सुनिश्चित करने के बाद कि उसके अधिकार क्षेत्र में लाइन साफ एवं बाधा रहित है, वॉछित मार्ग सैट एवं पाशित करेगा। तत्पश्चात् स्टेशन मास्टर को एक प्राइवेट नम्बर द्वारा अनुपोषित सूचना देगा।
- (vi) कार्यरत स्टेशन मास्टर अपने कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत लाइन के साफ होने को सुनिश्चित करेगा तथा उपयुक्त होम सिगनल के स्विच को रिवर्स करेगा और पश्चिम केबिन के केबिनमैन को आगमन सिगनल को 'आफ' करने के लिये प्राधिकृत करेगा।
- (vii) पश्चिम केबिन का केबिनमैन गाड़ियों के लिये आगमन सिगनल झुकाने से पहले वह सुनिश्चित करेगा कि समपार फाटक संख्या 43/बी के फाटकवाला को सम्बन्धित गेट परिशिष्ट में दिये निर्देशानुसार सूचित कर दिया गया है तथा गेटमैन द्वारा ट्रॉसमिट की गयी चाबी 'सी' उसे प्राप्त हो गयी है।
- (viii) पश्चिम केबिन का केबिनमैन अपने चित्र आरेख पर स्लाट संकेतक बत्ती के जल जाने पर अपने केबिन में उपयुक्त लीवर खींचकर होम सिगनल तथा आउटर सिगनल को 'आफ' करेगा।

(अतुल सिंह)

मण्डल सिगनल एवं दूरसंचार/इज्जतनगर

(के०एस०सोनाल)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक/इज्जतनगर

(ix) जब गाड़ी सिगनलो को पार कर जाय, पश्चिम केबिन पर कार्यरत केबिनमैन को सम्बन्धित सिगनलो को "आन" कर देना चाहिये। तथा कांटो को नार्मल सेटिंग में कर देना चाहिए।

(2) **अलीगंज की ओर से गाड़ियों का आगमन :-**

- (i) अलीगंज की ओर से गाड़ियों का आगमन लाइन संख्या 1, 2, 3, 4 तथा 5 में किया जा सकता है।
- (ii) कार्यरत स्टेशन मास्टर यह सुनिश्चित करने के बाद कि लाइन, जिस पर वह गाड़ी लेना चाहता है, साफ एवं बाधा रहित है, यार्ड के दोनों छोरों पर स्थित केबिनो में कार्यरत केबिनमैनो को गाड़ी की संख्या, गाड़ी का विवरण, दिशा जिधर से गाड़ी आ रही है तथा लाइन संख्या जिस पर गाड़ी ली जायेगी, के सम्बन्ध में प्राइवेट नम्बर द्वारा अनुपोषित निर्देश देगा।
- (iii) यार्ड के अनुमुख छोर पर स्थित पूर्व केबिन पर कार्यरत केबिनमैन, सुनिश्चित करने के बाद कि उसके अधिकार क्षेत्र में लाइन साफ एवं बाधा रहित है, उपयुक्त मार्ग सेट एवं पाशित करेगा तत्पश्चात स्टेशन मास्टर को प्राइवेट नम्बर द्वारा अनुपोषित सूचना देगा।
- (iv) पूर्व केबिन पर कार्यरत केबिनमैन उपयुक्त स्लाट लीवर खींचने से पूर्व लाइन संख्या 4 तथा 5 में गाड़ी के आगमन के लिये निर्देश मिलने पर गेट संख्या 39/बी को बन्द एवं पाशित करेगा।
- (v) यार्ड के सम्मुख छोर पर स्थित पश्चिम केबिन में कार्यरत केबिनमैन, सुनिश्चित करने के बाद कि उसके अधिकार क्षेत्र में लाइन साफ एवं बाधा रहित है, वॉछित मार्ग सेट एवं पाशित करेगा। तत्पश्चात स्टेशन मास्टर को एक प्राइवेट नम्बर द्वारा अनुपोषित सूचना देगा।
- (vi) कार्यरत स्टेशन मास्टर अपने कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत लाइन के साफ होने को सुनिश्चित करेगा तथा उपयुक्त होम सिगनल के स्विच को रिवर्स करेगा और पश्चिम केबिन के केबिनमैन को आगमन सिगनल को 'आफ' करने के लिये प्राधिकृत करेगा।
- (vii) पश्चिम केबिन का केबिनमैन गाड़ियों के आगमन सिगनल झुकाने से पहले वह सुनिश्चित करेगा कि समपार फाटक संख्या 37/बी के फाटक वाला को सम्बन्धित गेट परिशिष्ट में दिये निर्देशानुसार सूचित कर दिया गया है तथा गेटमैन द्वारा ट्रॉसमिट की गयी चाबी 'डब्लू' उसे प्राप्त हो गयी है एवं वह गेट संख्या 38/बी को बन्द एवं पाशित कर दिया गया है।
- (viii) पश्चिम केबिन का केबिनमैन अपने चित्र आरेख पर स्लाट संकेतक बत्ती के जल जाने पर अपने केबिन में उपयुक्त लीवर खींचकर होम सिगनल तथा आउटर सिगनल को 'आफ' करेगा।
- (ix) जब गाड़ी सिगनलो को पार कर जाय, पश्चिम केबिन पर कार्यरत केबिनमैन को सम्बन्धित सिगनलो को "आन" कर देना चाहिये।

(3) **रामनगर की ओर से गाड़ियों का आगमन :-**

- (i) रामनगर की ओर से गाड़ियों का आगमन लाइन सं0 1, 2, 3, 4 तथा 5 में किया जा सकता है।
- (ii) कार्यरत स्टेशन मास्टर यह सुनिश्चित करने के बाद कि लाइन, जिस पर वह गाड़ी लेना चाहता है, साफ एवं बाधा रहित है, यार्ड के दोनों छोरों पर स्थित केबिनो में कार्यरत केबिनमैनो को गाड़ी की संख्या, गाड़ी का विवरण, दिशा जिधर से गाड़ी आ रही है तथा लाइन संख्या जिस पर गाड़ी ली जायेगी, के सम्बन्ध में एक प्राइवेट नम्बर द्वारा अनुपोषित निर्देश देगा।
- (iii) यार्ड के अनुमुख छोर पर स्थित पश्चिम केबिन पर कार्यरत केबिनमैन, सुनिश्चित करने के बाद कि उसके अधिकार क्षेत्र में लाइन साफ एवं बाधा रहित है, वॉछित मार्ग सेट एवं पाशित करेगा तत्पश्चात स्टेशन मास्टर को एक प्राइवेट नम्बर द्वारा अनुपोषित सूचना देगा।
- (iv) यार्ड के सम्मुख छोर पर स्थित पूर्व केबिन में कार्यरत केबिनमैन, सुनिश्चित करने के बाद कि उसके अधिकार क्षेत्र में लाइन साफ एवं बाधा रहित है, उपयुक्त मार्ग सेट एवं पाशित करेगा। तत्पश्चात स्टेशन मास्टर को एक प्राइवेट नम्बर द्वारा अनुपोषित सूचना देगा।

(अतुल सिंह)

मण्डल सिगनल एवं दूरसंचार/इज्जतनगर

(के0एस0सोनाल)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक/इज्जतनगर

- (v) कार्यरत स्टेशन मास्टर अपने कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत लाइन के साफ होने को सुनिश्चित करेगा तथा उपयुक्त होम सिगनल के स्विच को रिवर्स करेगा और पूर्व केबिन के केबिनमैन को आगमन सिगनल को 'आफ' करने के लिये प्राधिकृत करेगा ।
- (vi) पूर्व केबिन में कार्यरत केबिनमैन गाड़ियों के आगमन सिगनल झुकाने से पहले वह सुनिश्चित करेगा कि समपार फाटक संख्या 42/बी के फाटक वाला को सम्बन्धित गेट परिशिष्ट में दिये निर्देशानुसार सूचित कर दिया गया है तथा गेटमैन द्वारा ट्रॉसमिट की गयी चाबी 'टी' उसे प्राप्त हो गयी है एवं वह गेट संख्या 39/बी को सम्बन्धित गेट परिशिष्ट के अनुसार बन्द एवं पाशित करेगा ।
- (vii) पूर्व केबिन का केबिनमैन अपने चित्र आरेख पर स्लाट संकेतक बत्ती के जल जाने पर अपने केबिन में उपयुक्त लीवर खींचकर होम सिगनल तथा आउटर सिगनल को 'आफ' करेगा ।
- (viii) जब गाड़ी सिगनलो को पार कर जाय, पूर्व केबिन पर कार्यरत केबिनमैन को सम्बन्धित सिगनलो को "आन" कर देना चाहिये ।

6.1. गाड़ी परिचालन कर्मचारियों के कर्तव्य :

गाड़ी परिचालन कर्मचारी स्टेशन प्रबन्धक, स्टेशन मास्टर, सहायक स्टेशन मास्टर, केबिनमैन, गेटमैन, काँटावाला तथा पोर्टर के कर्तव्यों का विस्तृत विवरण परिशिष्ट 'घ' में दिया गया है ।

6.1.1 प्रत्येक पाली में गाड़ी परिचालन कर्मचारी :

स्टेशन प्रबन्धक	—	01	—	पर्यवेक्षकीय
दिन की पाली :				
सहायक स्टेशन मास्टर	—	01	—	निर्धारित रोस्टर के अनुसार
केबिनमैन	—	02	—	निर्धारित रोस्टर के अनुसार
काँटावाला	—	02	—	निर्धारित रोस्टर के अनुसार
फाटकवाला	—	03	—	निर्धारित रोस्टर के अनुसार
पोर्टर	—	01	—	निर्धारित रोस्टर के अनुसार
शंटिंग मास्टर	—	01	—	निर्धारित रोस्टर के अनुसार

सॉन्ध/रात्रि पाली :

सहायक स्टेशन मास्टर	—	02	—	निर्धारित रोस्टर के अनुसार
केबिनमैन	—	04	—	निर्धारित रोस्टर के अनुसार
काँटावाला	—	04	—	निर्धारित रोस्टर के अनुसार
फाटकवाला	—	03	—	निर्धारित रोस्टर के अनुसार
पोर्टर	—	02	—	निर्धारित रोस्टर के अनुसार
शंटिंग मास्टर	—	01	—	निर्धारित रोस्टर के अनुसार

6.1.2 लाइनों का क्लीयेरेन्स सुनिश्चित करने के लिये उत्तरदायित्व तथा उत्तरदायित्व के क्षेत्र :

कार्यरत स्टेशन मास्टर और पूर्व तथा पश्चिम केबिनमैन किसी गाड़ी के आगमन अथवा प्रस्थान के समय परिचालित लाइनों का बाधा रहित होना सुनिश्चित करने के लिये उत्तरदायी हैं । इनका सीमा क्षेत्र निम्न प्रकार है :-

कार्यरत स्टेशन मास्टर — अप प्रस्थान सिगनल तथा डाउन प्रस्थान सिगनलों के मध्य लाइन का भाग ।

पूर्व केबिन में कार्यरत केबिनमैन — अप प्रस्थान सिगनल तथा डाउन आउटर सिगनल के मध्य लाइन का भाग

पश्चिम केबिन में कार्यरत केबिनमैन — डाउन प्रस्थान सिगनल तथा अप आउटर सिगनल के मध्य लाइन का भाग ।

(साधारण नियम संख्या 3.38 (ग), 3.40 (1) (ख) और 8.03(2) (ग) (i) देखें)

(अतुल सिंह)

(के०एस०सोनाल)

मण्डल सिगनल एवं दूरसंचार/इज्जतनगर

मण्डल परिचालन प्रबन्धक/इज्जतनगर

6.1.3 आश्वासन पंजिका में कर्मचारियों का आश्वासन :-

वे सभी कर्मचारी जो किसी भी प्रकार गाड़ी संचालन से सम्बद्ध हों, अपना कार्यभार स्वतन्त्र रूप से ग्रहण करने के पूर्व तथा वे कर्मचारी जो किसी कारण से 15 या उससे अधिक दिन गाड़ी संचालन से असम्बद्ध (अलग) रहे हों, अपना कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व आश्वासन पंजिका (एशयोरेन्स रजिस्टर) में अनुमोदित प्रारूप पर एक प्रमाण-पत्र आवश्यक रूप से देंगे ।

(सहायक नियम 5.01(19) देखें)

6.2. लाइन क्लीयर देने की शर्तें :

लाइन तब तक साफ नहीं समझी जायेगी तथा लाइन क्लीयर तब तक नहीं दिया जायेगा जब तक कि -

- (क) सम्पूर्ण, अन्तिम पूर्ववर्ती गाड़ी पूरी न आ गयी हो ।
- (ख) उक्त गाड़ी के पीछे वाले होम तथा आउटर सिगनल "आन" स्थिति में वापस न कर दिये गये हो
- (ग) लाइन, यार्ड में आती हुयी गाड़ी के निकटतम छोर के अग्रिम प्रस्थान सिगनल तक साफ न हो
- (घ) डाउन गाड़ी के मामले में रामनगर की ओर ब्लाक खण्ड में स्थित स्थित इंजी० गेट संख्या 42/सी, 43/बी, 44/सी तथा 45/सी तथा अप गाड़ी के मामले में अलीगंज की ओर ब्लाक खण्ड में स्थित इंजी० गेट संख्या 31/सी 32.सी तथा 33/सी के फाटकवालों को सम्बन्धित गेट परिशिष्ट में दिये गये निर्देशानुसार सूचित न कर दिया गया हो। इसी प्रकार बाजपुर की ओर स्थित इंजी० गेट सं० 37/स्पेशल, 38/सी तथा 41/सी के गेटमैन को सम्बन्धित गेट परिशिष्ट में दिये गये निर्देशानुसार सूचित न कर दिया गया हो।

(साधारण एवं सहायक नियम 8.03(2) (क) (ख) (ग) देखें)

6.2.1 स्टेशन पर गाड़ी के आगमन या प्रस्थान के समय पालन की जाने वाली अन्य विशेष शर्तें :-**6.2.1.1 ब्लाक लाइन के विरुद्ध काँटों को अन्य लाइन के लिये सैट करना**

जब स्टेशन पर कोई चालू लाइन स्टैबुल्ड लोड अथवा कासिंग/प्रीसीडेंस के कारण अवरुद्ध हो, तो दोनों छोरों के काँटें अवरुद्ध लाइन के विपरीत सैट किये जायें। (साधारण एवं सहायक नियम 5.19(1)(a)(ii)(b)(ii) (2)(5)(i) को देखें)

6.2.1.2 अवरुद्ध लाइन पर गाड़ी का आगमन

जब स्टेशन पर किसी अवरुद्ध लाइन पर गाड़ी को प्राप्त करना हो, तो साधारण 5.09(1)(a) (b)(c), (2)(c), (3)(a)(b) (i) तथा सहायक नियम 5.09(1), (a) (b)(c), के अनुसार कार्यवाही पूर्णरूपेण सुनिश्चित करें ।

6.2.1.3 बिना सिगनल वाली लाइन पर गाड़ी का आगमन :-

इस स्टेशन पर लाइन संख्या 6 पर तीनों साइड से साधारण एवं सहायक नियम 5.10 का अनुपालन करते हुए गाड़ी का आगमन किया जा सकता है।

6.2.1.4 बिना सिगनल वाली लाइन से गाड़ी का प्रस्थान :-

अपरिचालित लाइन संख्या 6 से तीनों दिशाओं को तथा आवश्यकता पड़ने पर लाइन संख्या 7 से केवल रामनगर की ओर गाड़ियों का प्रस्थान साधारण एवं सहायक नियम 5.11 के अनुसार कार्य किया जा कता है । ऐसी स्थिति में प्रचलित प्रस्थान प्राधिकार के साथ टी-511 भी चालक को सौंपा जायेगा।

6.2.1.5 कॉमन स्टार्टर सिगनल वाली लाइन से गाड़ी का प्रस्थान :-

इस स्टेशन पर कोई कॉमन स्टार्टर प्रदत्त नहीं है।

(अतुल सिंह)

मण्डल सिगनल एवं दूरसंचार/इज्जतनगर

(के०एस०सोनाल)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक/इज्जतनगर

6.2.1.6 सामान्य एवं सहायक नियमों का सन्दर्भ देते हुए अन्य किसी भी परिस्थिति का उल्लेख किया जाना

- (i) बाजपुर साइड के अप होम सिगनल के लिये बैनर रिपीटर प्रदत्त है ।
(सहायक नियम 3.16 देखें)
- (ii) बाजपुर साइड के अप आउटर एवं चेतावनी सिगनल पूर्व केबिन से नहीं दिखायी देते । इनकी सही स्थिति को सुनिश्चित करने के लिये पूर्व केबिन में आर्म एण्ड लाइट रिपीटर प्रदत्त है ।
- (iii) स्टेशन मास्टर कार्यालय में तीनों दिशाओं के आउटर सिगनल संख्या 29, 49 और 25 के लिये 'आन' इंडिकेटर प्रदत्त हैं । लाइन क्लीयर देने से पहले अवश्य सुनिश्चित करें कि प्रथम रोक सिगनल अर्थात् आउटर सिगनल 'आन' स्थिति में है । 'आन' इंडिकेटर की विफलता की दशा में स्टेशन मास्टर को सम्बन्धित केबिनमैन से प्राइवेट नम्बर के आदान-प्रदान के द्वारा लाइन क्लीयर देने से पहले सुनिश्चित कर लेना चाहिये कि सिगनल 'आन' स्थिति में हैं ।
(साधारण एवं सहायक नियम 3.23 देखें)

6.3 आगमन सिगनलो को "आफ" करने की शर्तें :

सिगनलों को तब तक 'आफ' नहीं किया जायेगा जब तक कि -

- (क) सभी सम्मुख कॉटे, जिन पर से गाड़ी गुजरेगी, सही ढंग से सेट तथा पाशित न कर दिये गये हों ।
- (ख) सभी अनुमुख कॉटे, जिन पर से गाड़ी गुजरेगी, सही ढंग से सेट न कर दिये गये हों ।
- (ग) वह लाइन जिस पर गाड़ी लेनी है, सभी अवरोधो से मुक्त तथा केवल अप गाड़ी बाजपुर साइड से लाइन नं0 4 व 5 में लेते समय अनुमुख कॉटो के आगे पर्याप्त दूरी तक साफ न हो शेष मामलो में प्रस्थान सिगनलो से आगे पर्याप्त दूरी तक साफ न हो ।
- (घ) परिशिष्ट 'ख' में दी गयी पुल शीट के अनुरूप मार्ग में पड़ने वाले समपार फाटक को सड़क यातायात के विरुद्ध बन्द एवं पाशित न कर दिया गया हो ।

(साधारण एवं सहायक नियम 3.40 (1) (ख) (3) (क) एवं (4) तथा सहायक नियम 3.40(1) देखें)

टिप्पणी :-

- (1) कार्यरत स्टेशन मास्टर अपने कार्यालय में तथा केबिनमैन अपने केबिन में प्रदत्त चित्र आरेख में प्रदर्शित ट्रैक सर्किट इंडिकेशन द्वारा लाइन बाधा रहित होने को सुनिश्चित करेंगे । ट्रैक सर्किट की विफलता अथवा इंडिकेशन बल्ब के फ्यूज होने की दशा में लाइन के बाधा रहित होने का सुनिश्चय कार्यरत स्टेशन मास्टर तथा केबिनमैन द्वारा भौतिक सत्यापन द्वारा किया जायेगा ।
- (2) गाड़ियों के आगमन तथा प्रस्थान के समय कॉटों और सिगनलों के प्रचालन के लिये स्टेशन संचालन नियम में संलग्न परिशिष्ट "ख" देखें ।

6.3.1 "आफ" किये गये सिगनल को पुनः "आन" करने के लिये स्टेशन मास्टर का उत्तरदरायित्व :-

किसी गाड़ी के सम्पूर्ण आगमन के बाद सभी सम्बन्धित सिगनलों को उनकी सामान्य दशा में वापस कर दिया जाय । सहायक नियम 3.38 (iv) देखें ।

6.4 गाड़ियों का एक साथ आगमन /प्रस्थान, गाड़ियों की क्रासिंग तथा गाड़ियों को प्राथमिकता देना

1. इस स्टेशन पर बाजपुर दिशा से लाइन संख्या-4 अथवा 5 में तथा अलीगंज अथवा रामनगर दिशा से लाइन संख्या-1, 2 अथवा 3 में गाड़ियों के एक साथ आगमन की अनुमति है ।

(अतुल सिंह)

मण्डल सिगनल एवं दूरसंचार/इज्जतनगर

(के0एस0सोनाल)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक/इज्जतनगर

2. इस स्टेशन पर बाजपुर दिशा से लाइन संख्या-4 या 5 में आगमन , रामनगर से लाइन संख्या-1 या 2 या 3 में क्रासिंग की अनुमति है। तीनों दिशाओं के लिये एक साथ प्रस्थान किया जा सकता है।
3. इस स्टेशन पर सवारी गाड़ी के ब्रेक यान को एक दूसरे के सम्मुख करके क्रासिंग की अनुमति है।
(साधारण नियम 5.01(14) देखें)

6.5 गाड़ियों का पूर्ण आगमन :-

- (क) स्टेशन से बिना रुके जाने वाली गाड़ियों के सम्बन्ध में कार्यरत स्टेशन मास्टर का यह कर्तव्य है कि दिन में गाड़ी के पीछे लगा एल00वी0बोर्ड /रात्रि में फ्लैशर टाइप टेल लैम्प का स्वयं निरीक्षण करके सुनिश्चित करें कि गाड़ी पूरी आ गयी है।
- (ख) रुकने वाली गाड़ियों के सम्बन्ध में यह कर्तव्य रुकने वाले अन्तिम वाहन से निकटतम केबिन के केबिन मैन का होगा। जैसे ही गाड़ी आती है, वह गाड़ी के अन्तिम वाहन के पीछे लगे एल00वी0बोर्ड / रात्रि में फ्लैशर टाइप टेल लैम्प को देखकर सन्तुष्टि करेगा कि गाड़ी पूरी आ गयी है और जब तक वह गाड़ी के पूर्ण आगमन के विषय में स्वयं को आश्वस्त न कर ले, उसे होम सिगनल 'आन' की दशा में वापस नहीं करना चाहिए और गाड़ी के पूर्ण आगमन पर ही टेलीफोन द्वारा कार्यरत स्टेशन मास्टर को प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करके सूचित करना चाहिए। इस प्रकार सूचना मिलने के बाद ही स्टेशन मास्टर गाड़ी के 'ब्लाक सैक्शन से बाहर' होने का संकेत भेजेगा। कार्यरत स्टेशन मास्टर तथा केबिन मैन को अपने-अपने क्षेत्र में स्वयं व्यक्तिगत रूप से यह सुनिश्चित करना होगा कि रुकने वाली गाड़ी उल्लंघन चिन्हों को साफ करके खड़ी है।

(साधारण एवं सहायक नियम 4.17 देखें)

- (ग) यदि कोई गाड़ी दिन में एल00वी0बोर्ड /रात्रि में फ्लैशर टाइप टेल लैम्प के सन्दर्भ में अपूर्ण आती है तो केबिनमैन टेलीफोन पर कार्यरत स्टेशन मास्टर को सूचित करेगा और गोपनीय संख्या के साथ अभिस्वीकृति करेगा। केबिन मैन स्टेशन मास्टर से गोपनीय संख्या मिलने के बाद होम सिगनल 'आन' स्थिति में कर देगा। तत्पश्चात स्टेशन मास्टर गार्ड से गाड़ी के पूर्ण आगमन प्रमाण पत्र टी-1410 पर सम्पूर्ण आगमन पंजिका में प्राप्त करेगा। उसके बाद ही पिछले स्टेशन को गाड़ी के 'ब्लाक सैक्शन से बाहर' होने का संकेत भेजेगा।

6.6 गाड़ियों का प्रस्थान :

(1) बाजपुर की ओर गाड़ियों का प्रस्थान :-

- (i) बाजपुर की ओर गाड़ियों का प्रस्थान लाइन संख्या 4 तथा 5 से ही किया जा सकता है।
- (ii) कार्यरत स्टेशन मास्टर, स्टेशन मास्टर बाजपुर स्टेशन से लाइन क्लियर लेगा। इसके बाद वह पश्चिम केबिन के केबिनमैन को गाड़ी की संख्या, लाइन जिससे वह जायेगी की सूचना प्राइवेट नम्बर के साथ देगा।
- (iii) पश्चिम केबिन पर कार्यरत केबिनमैन लाइन के साफ होने को सुनिश्चित करेगा एवं काँटो को सेट करेगा तथा यदि कोई सम्मुख काँटा हो तो उसे पाशित करेगा। इसके बाद वह कार्यरत स्टेशन मास्टर को सूचित करेगा तथा प्राइवेट नम्बर द्वारा इसकी पुष्टि करेगा।
- (iv) कार्यरत स्टेशन मास्टर इंजी० सं० 37 स्पे०, 38/सी तथा 41/सी पर कार्यरत फाटकवाला को सम्बन्धित गेट परिशिष्ट में दिये गये निर्देशानुसार सूचित करेगा।
- (v) कार्यरत स्टेशन मास्टर अग्रिम प्रस्थान सिगनल के लिये सम्बन्धित स्टेशन मास्टर स्विच को रिवर्स करेगा जिसके फलस्वरूप पश्चिम केबिन के आरेख में एक प्रकाशित संकेत प्रकट होगा जो केबिनमैन को प्रस्थान सिगनल 'आफ' करने के लिये प्राधिकृत करेगा

(अतुल सिंह)

(के०एस०सोनाल)

मण्डल सिगनल एवं दूरसंचार/इज्जतनगर

मण्डल परिचालन प्रबन्धक/इज्जतनगर

- (vi) पश्चिम केबिन पर कार्यरत केबिनमैन प्रस्थान सिगनल आफ करने से पहले समपार फाटक संख्या 43/B के गेटमैन को सम्बन्धित गेट परिशिष्ट में दिये गये निर्देशानुसार सूचित करके यह सुनिश्चित करेगा कि उसे गेट सं0 43/B से चाबी "सी" प्राप्त हो गयी है।
- (vii) पश्चिम केबिनमैन तब अपने केबिन में उपयुक्त लीवर खींचकर अग्रिम प्रस्थान सिगनल तथा वांछित लाइन का प्रस्थान सिगनल 'आफ' करेगा।
- (viii) तभी कार्यरत स्टेशन मास्टर गाड़ी के लोको पायलट को प्रस्थान प्राधिकार सोपेगा।

(2) **अलीगंज की ओर गाड़ियों का प्रस्थान :-**

- (i) अलीगंज की ओर गाड़ियों का प्रस्थान लाइन संख्या 1, 2, 3, 4 तथा 5 से किया जा सकता है।
- (ii) कार्यरत स्टेशन मास्टर, स्टेशन मास्टर, अलीगंज से लाइन क्लीयर लेगा। इसके बाद वह पश्चिम केबिन के केबिनमैन को गाड़ी की संख्या, लाइन जिससे वह जायेगी की सूचना प्राइवेट नम्बर के साथ देगा।
- (iii) पश्चिम केबिन का केबिनमैन सम्बन्धित लाइन के बाधा रहित होने को सुनिश्चित करेगा एवं कॉटो को सेट करेगा तथा यदि कोई सम्मुख कॉटा हो तो उसे पाशित करेगा। इसके बाद वह कार्यरत स्टेशन मास्टर को सूचित करेगा तथा प्राइवेट नम्बर द्वारा इसकी पुष्टि करेगा।
- (iv) कार्यरत स्टेशन मास्टर गेट संख्या 31/सी, 32/सी एवं 33/सी के फाटक वालों को सम्बन्धित गेट परिशिष्ट में दिये गये निर्देशानुसार सूचित करेगा।
- (vi) कार्यरत स्टेशन मास्टर अग्रिम प्रस्थान सिगनल के लिये सम्बन्धित स्टेशन मास्टर स्विच को रिवर्स करेगा जिसके फलस्वरूप पश्चिम केबिन के चित्र आरेख में एक प्रकाशित संकेत प्रकट होगा जो केबिनमैन को प्रस्थान सिगनल 'आफ' करने के लिये प्राधिकृत करेगा
- (vi) पश्चिम केबिन का केबिनमैन प्रस्थान सिगनल आफ करने से पहले गेट सं0 38/B को बन्द एवं पशित करेगा और समपार फाटक संख्या 37/B के गेटमैन को सम्बन्धित गेट परिशिष्ट में दिये गये निर्देशानुसार सूचित करके सुनिश्चित करेगा कि उसे गेट सं0 37/B से चाबी "डब्लू" प्राप्त करेगा।
- (vii) पश्चिम केबिनमैन तब अपने केबिन में उपयुक्त लीवर खींचकर अग्रिम प्रस्थान सिगनल तथा वांछित लाइन का प्रस्थान सिगनल 'आफ' करेगा।
- (viii) तभी कार्यरत स्टेशन मास्टर लोको पायलट को प्रस्थान प्राधिकार सौपेगा।

(3) **रामनगर की ओर गाड़ियों का प्रस्थान :-**

- (i) रामनगर की ओर गाड़ियों का प्रस्थान लाइन संख्या 1, 2, 3, 4 तथा 5 से किया जा सकता है।
- (ii) कार्यरत स्टेशन मास्टर, स्टेशन मास्टर, रामनगर से लाइन क्लीयर लेगा। इसके बाद वह पूर्व केबिन के केबिनमैन को गाड़ी की संख्या, लाइन जिससे वह जायेगी की सूचना प्राइवेट नम्बर के साथ देगा।
- (iii) पूर्व केबिन पर कार्यरत केबिनमैन सम्बन्धित लाइन के बाधा रहित होने को सुनिश्चित करेगा एवं कॉटो को सेट करेगा तथा यदि कोई सम्मुख कॉटा हो तो उसे पाशित करेगा। इसके बाद वह कार्यरत स्टेशन मास्टर को सूचित करेगा तथा प्राइवेट नम्बर द्वारा इसकी पुष्टि करेगा।
- (iv) कार्यरत स्टेशन मास्टर गेट संख्या 42ए/सी, 43/बी तथा 45ए/सी के फाटक वालों को सम्बन्धित गेट परिशिष्ट में दिये गये निर्देशानुसार सूचित करेगा।
- (v) कार्यरत स्टेशन मास्टर अग्रिम प्रस्थान सिगनल के लिये सम्बन्धित स्टेशन मास्टर स्विच को रिवर्स करेगा जिसके फलस्वरूप पूर्व केबिन के आरेख में एक प्रकाशित संकेत प्रकट होगा जो केबिनमैन को प्रस्थान सिगनल 'आफ' करने के लिये प्राधिकृत करेगा

(अतुल सिंह)

मण्डल सिगनल एवं दूरसंचार/इज्जतनगर

(के0एस0सोनाल)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक/इज्जतनगर

- (vi) पूर्व केबिन में कार्यरत केबिनमैन प्रस्थान सिगनल आफ करने से पहले गेट संख्या 39/B को सम्बन्धित गेट परिशिष्ट में दिये गये निर्देशानुसार बन्द एवं पाशित करेगा और समपार फाटक संख्या 42/B के गेटमैन को सम्बन्धित गेट परिशिष्ट में दिये गये निर्देशानुसार सूचित करके सुनिश्चित करेगा कि उसे गेट संख्या 42/B से चाबी "टी" प्राप्त हो गयी है।
- (vii) पूर्व केबिनमैन तब अपने केबिन में उपयुक्त लीवर खींचकर अग्रिम प्रस्थान सिगनल तथा वांछित लाइन का प्रस्थान सिगनल 'आफ' करेगा।
- (viii) तभी कार्यरत स्टेशन मास्टर लोको पायलट को प्रस्थान प्राधिकार सौपेगा।

6.6.1 सतर्कता आदेश (T-409) जारी करना :

जब कभी लाइन की मरम्मत अथवा किसी अन्य खराबी से विशेष रूप से सतर्क रहने की आवश्यकता हो तो उन किलोमीटरों जिनके बीच सतर्क रहने की आवश्यकता है, ऐसी सतर्कता बरतने के कारण तथा गाड़ी जिस गति से चलेगी, उसका पूर्ण विवरण देते हुये एक सतर्कता आदेश सचेत रहने वाले स्टेशन से तुरन्त पहले पड़ने वाले स्टेशन अथवा अन्य स्टेशनों पर और उस ढंग से, जैसा कि विशेष अनुदेशों के अन्तर्गत निर्धारित है, लोको पायलट एवं गार्ड को तत्काल सुपुर्द कर देना होगा। (साधारण एवं सहायक नियम 4.09 देखें)

6.7. गाड़ियों का बिना रुके सीधे जाना :

इस स्टेशन पर गाड़ियों को बिना रुके सीधे जाने की अनुमति नहीं है।

6.8. विफलता के दौरान कार्य पध्दति :

अन्तर्पाशन अथवा होम सिगनल में से कोई एक भुजा की विफलता की दशा में सम्पूर्ण स्टेशन गैर-अन्तर्पाशित नहीं माना जायेगा किन्तु गाड़ियाँ सीधे उन परिचालित लाइनों, जिनके होम सिगनल क्रियाशील अवस्था में है, पर ली जा सकती है।

आगमन सिगनल खराब होने पर गाड़ियाँ लेने हेतु कार्यरत स्टेशन मास्टर को, जब तक उसने कार्यरत केबिनमैन से गोपनीय संख्या के अनुपोषण स्वरूप यह आश्वासन प्राप्त न हो गया हो कि तत्सम्बन्धी काँटें सही सेट और सम्मुख काँटें क्लैम्प करके ताला बन्द कर दिये गये हैं। टी/369(3b) जारी नहीं करना चाहिये।

(विशेष रूप से साधारण नियम 3.68, 3.69 और 3.70 देखें)

टिप्पणी : कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा भरा गया टी/369(3b) काँटेंवाला अथवा पोर्टर द्वारा ले जाया जायेगा जो इसे कार्यरत केबिनमैन को देगा जो इस पर हस्ताक्षर करने के उपरान्त इसे लोको पायलट को देने हेतु काँटावाला / पोर्टर को वापस दे देगा कार्यरत काँटा वाला / पोर्टर इस प्राधिकार को लोको पायलट को सौंपने के बाद स्वयं आउटर सिगनल के नीचे निर्धारित वर्दी में उपस्थित रहकर गाड़ी को हाथ संकेत देगा।

6.9 लारियो, ट्रालियो तथा मोटर ट्रालियों के संचालन के लिये विशेष अनुदेश :

- (क) मोटर ट्राली को गाड़ियों के संचालन के लागू पूर्ण ब्लाक पध्दति के अन्तर्गत ब्लाक प्रोटेक्शन पर ही संचालित किया जायेगा।
- (ख) दिन के समय जब मौसम साफ हो तो मोटर ट्राली को पूर्णतया वैक्यूम युक्त गाड़ी की या उसी ब्लाक खण्ड पर किसी दूसरी मोटर ट्राली का अनुसरण करने की अनुमति दी जा सकती है। इस मामले में मोटर ट्राली को एक निर्धारित प्रपत्र टी-1525 पर अनुज्ञा पत्र (PERMIT) जारी किया जाये।

(अतुल सिंह)

मण्डल सिगनल एवं दूरसंचार/इज्जतनगर

(के०एस०सोनाल)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक/इज्जतनगर

इसमें संशोधन पर्ची संख्या 1 दिनांक
स्टेशन संचालन नियम सं० इज्जत/62

सम्मिलित है।

काशीपुर

(ग) जब मोटर टाली लाइन क्लीयर पर जा रही हो तो आगमन सिगनलो को 'आफ' स्थिति में कर दिया जायेगा। गाड़ी के पीछे आने वाली मोटर टाली के मामले में आगमन सिगनलो को 'आफ' करने की आवश्यकता नहीं है।

साधारण एवं सहायक नियम 15.18 से 15.28 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

7. लाइन अवरुद्ध होना :-

साधारणतया परिचालित लाइन में वाहनों को रखे जाने की अनुमति नहीं है। किन्तु यदि कोई परिचालित लाइन वाहन अथवा वाहनों से अवरुद्ध हो अथवा अनुरक्षण कारणों से अवरुद्ध की जाय तो कार्यरत स्टेशन मास्टर निम्नलिखित कार्यवाही सुनिश्चित करेगा :-

1. स्टेशन डायरी एवं गाड़ी सिगनल रजिस्टर में तिथि, समय और जो लाइन अवरुद्ध हो, उसका समुचित विवरण लाल स्याही से लिखेगा। **तथा गाड़ी नियन्त्रक से प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करेगा।**
2. उस लाइन से सम्बन्धित काँटें विपरीत सैट करेगा।
3. चार्ज सौंपने वाला स्टेशन मास्टर, चार्ज ग्रहण करने वाले स्टेशन मास्टर को व्यक्तिगत रूप से बताने के साथ-साथ प्रत्येक लाइन की वास्तविक स्थिति का विवरण स्टेशन डायरी में लिखेगा। जब तक स्टेशन डायरी में ऐसा लिख नहीं दिया जाता है, चार्ज लेने वाला स्टेशन मास्टर चार्ज लेने के प्रमाण स्वरूप अपना हस्ताक्षर स्टेशन डायरी में नहीं करेगा।
4. जब परिचालित लाइन साफ हो जाय तो स्टेशन मास्टर, स्टेशन डायरी एवं गाड़ी सिगनल रजिस्टर में तिथि, समय और जो लाइन से अवरुद्ध हटा दिया गया है, उसका समुचित विवरण लिखेगा। साधारण एवं सहायक नियम 5.19 को देखे।

7.1 स्टेबुल वाहनो/वैगनो/ लोड का सिक्वोरिंग:-

जब परिचालित/अपरिचालित लाइन वाहन/वाहनो से अवरुद्ध की जाय तों, स्टेशन पर खड़े वाहनो के सम्बन्ध में स्टेशन मास्टर देखेगा कि वाहनो को सहायक नियम 5.23 में दिये अनुदेशो के अनुसार ठीक ढंग से सुरक्षित कर दिया गया है।

वाहन/वाहनो/लोड को दोनों छोरों पर कम से कम एक-एक सेफ्टी चेन से बॉध दिया जाये तथा दोनों छोरों पर लकड़ी के दो-दो गुटके भी लगाये जाये।

- (i). सभी वाहनो के साथ प्रदत्त ब्रेको को उनके साथ अवश्य लगाया जायेगा। रेक में वाहनो को अवश्य जोड़ा जाय। जब परिचालित लाइन पर रेक खड़ा हो, तो हर रेक में वाहनो का अन्तिम छोर सुरक्षित किया जायेगा और कम से कम प्रति 15 वाहनो के बीच में संरक्षा जंजीर और पैड लाक का प्रयोग किया जायेगा। जहाँ ब्रेक वान है, ब्रेको को दृढतापूर्वक कसा जायेगा और माल वाहनो के मामले में सभी ब्रेक लीवर नीचे कर दिये जायेगें। विशेषतः तूफानी मौसम में जब रेक लम्बा हो, तब अतिरिक्त जंजीरो का पूर्ण मात्रा में प्रयोग अवश्य किया जायेगा। वाहन अकेला होने पर उसके ब्रेक को लगाने के अतिरिक्त उसे संरक्षा जंजीर से जकड़ देना चाहिये।

(अतुल सिंह)

(के०एस०सोनाल)

मण्डल सिग० एवं दूर संचार इंजी./इज्जतनगर मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा०)/इज्जतनगर

इसमें संशोधन पर्ची संख्या 1 दिनांक

सम्मिलित है।

स्टेशन संचालन नियम सं० इज्जत/62

काशीपुर

- (ii) नये प्रकार के बोगी रैकों में रोलर बियरिंग लगे हुये है और वे समतल पर भी लुढ़क सकते है। ये स्टाक खडा करके भी, 400 में 1 की ढलान पर इनके लुढ़कने का वैसे ही खतरा बना रहता है जैसे कि साधारण चार पहिये वाले डिब्बो के 133 में 1 की ढलान पर लुढ़कने का खतरा रहता है। इन वैगनो को साइडिंग में अथवा परिचालित लाइनो पर खड़ा करते समय इनको सुरक्षित करने का विशेष ध्यान रखा जायेगा। वाहन/वाहनो/लोड का सिक्कोरिंग नियमानुरूप कर दिया गया है कि पुष्टि में गाड़ी नियन्त्रक से प्राइवेट नम्बर आदान-प्रदान करके टी०एस०आर० तथा सिक्कोरिंग हेतु अनुरक्षित पंजिका में समय,तिथि एवं विवरण के साथ लाल स्याही से प्रविष्टि करेगा।

टिप्पणी :

- 1 बी०ओ०एक्स०, बी०ओ०बी०एस०, बी०ओ०आई०, बी०आर०एच० नये रोलर बियरिंग लगे कोचिंग स्टाक जब स्टेशन पर स्टाक स्टेबुल हो तो, निम्नलिखित सावधानियों बरती जायें :-

- (क) कम से कम दो संरक्षा जंजीरे प्रयोग की जाय और ताला लगाया जाय।
 (ख) हाथ से लगने वाले ब्रेक, चाहे साइड से परिचालित होने वाले हो अथवा छोर से परिचालित होने वाले हो, उन्हें पूरी तरह अवश्य कसा जाय।
 (ग) प्रत्येक छोर के कम से कम छः वैगनो के ब्रेक अवश्य कसे होने चाहिये।
 (घ) गार्ड अथवा सहायक स्टेशन मास्टर के व्यक्तिगत पर्यवेक्षण में स्टेशन कर्मचारियों जैसे पोर्टर अथवा कॉटेवाला द्वारा ब्रेक परिचालित (आपरेट) किये जाने चाहिये।

साधारण एवं सहायक 5.23 मे निहित अनुदेशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

- 8. शन्टिंग :** शन्टिंग सम्बन्धी नियमों के सन्दर्भ हेतु साधारण एवं सहायक नियम 8.09, 8.10, 8.13, 8.14 देखें।

- 8.1. **ब्लाक खण्ड साफ होने पर शन्टिंग :** (आगमन अनुमति देने से पूर्व)

- (d) **प्रथम रोक सिगनल ;आउटरद्व तक शन्टिंग** निम्न शर्तों के साथ शन्टिंग की अनुमति है :-

- i) सभी सम्बन्धित सिगनल "आन" स्थिति में हों।
 ii) स्टेशन मास्टर द्वारा नियुक्त सक्षम कर्मचारी शन्टिंग का प्रभारी हो।
 iii) लोको पायलट को अग्रिम प्रस्थान सिगनल "आन" स्थिति में पार करने एवं आउटर सिगनल तक शन्टिंग करने हेतु शंटिंग आदेश टी-806 दिया जाय।

- (ख) **प्रथम रोक सिगनल आउटर के बाहर शन्टिंग :** निम्न शर्तों के साथ शन्टिंग की अनुमति है :-

- i) सभी सम्बन्धित सिगनल "आन" स्थिति में हों।
 ii) स्टेशन मास्टर द्वारा नियुक्त सक्षम कर्मचारी शन्टिंग का प्रभारी हो।
 iii) सम्बन्धित ब्लाक खण्ड को ब्लाक बैक कर दिया गया हो, तथा
 iv) लोको पायलट को अग्रिम प्रस्थान सिगनल "आन" स्थिति में पार करने हेतु शंटिंग आदेश टी-806 के साथ-साथ टोकन अथवा टेबलेट भी दिया जाना चाहिये।

(अतुल सिंह)

मण्डल सिगनल एवं दूरसंचार/इज्जतनगर

(के०एस०सोनाल)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक/इज्जतनगर

8.2. आती हुयी गाड़ी की दिशा में शन्टिंग : (आगमन अनुमति देने के बाद)

(क) होम सिगनल के अन्दर शन्टिंग :

- i) सभी सम्बन्धित सिगनल "आन" स्थिति में हों ।
- ii) स्टेशन मास्टर द्वारा नियुक्त सक्षम कर्मचारी शन्टिंग का प्रभारी हो ।

(ख) अग्रिम प्रस्थान सिगनल तक शन्टिंग :

- i) सभी सम्बन्धित सिगनल "आन" स्थिति में हों ।
- ii) स्टेशन मास्टर द्वारा नियुक्त सक्षम कर्मचारी शन्टिंग का प्रभारी हो ।
- iii) होम सिगनल की दृश्यता बाधित न हों ।
- iv) गाड़ी आने के अनुमानित समय से 10 मिनट पूर्व ऐसी शन्टिंग बन्द कर दी जाय ।

(x) आउटर सिगनल तक शन्टिंग :

निम्नलिखित शर्तों के साथ किन्हीं विशेष अपरिहार्य परिस्थितियों में शन्टिंग की अनुमति है :-

- i) आउटर सिगनल की दृश्यता स्टेशन मास्टर कार्यालय के सामने से स्पष्ट हो ।
- ii) आती हुयी गाड़ी आउटर सिगनल पर रुक गयी हो तथा कार्यरत स्टेशन मास्टर सन्तुष्ट हो गया हो कि गाड़ी आउटर सिगनल पर रुक गयी है ।
- iii) घने कोहरे, धुन्ध एवं रात में ऐसी शन्टिंग की अनुमति नहीं है ।
- iv) सभी सम्बन्धित सिगनल "आन" स्थिति में हो ।
- v) स्टेशन मास्टर द्वारा नियुक्त सक्षम कर्मचारी शन्टिंग का प्रभारी हो, तथा
- vi) लोको पायलटर को अग्रिम प्रस्थान सिगनल 'आन' स्थिति में पार करने एवं आउटर सिगनल तक शन्टिंग करने हेतु परिस्थितियों से अवगत कराते हुए शन्टिंग आदेश टी-806 दिया जाय ।

8.3. जाती हुयी गाड़ी के पीछे शन्टिंग :

प्रथम रोक सिगनल (आउटर) तक निम्नलिखित शर्तों के साथ शन्टिंग की अनुमति है:-

- i) जाती हुयी गाड़ी आउटर सिगनल विपरीत दिशा को पार कर गयी हो तथा उसकी यात्रा जारी हो ।
- ii) सभी सम्बन्धित सिगनल "आन" स्थिति में हों ।
- iii) आउटर सिगनल की दृश्यता स्टेशन मास्टर कार्यालय के सामने से बाधित न हो ।
- iv) स्टेशन मास्टर द्वारा नियुक्त सक्षम कर्मचारी शन्टिंग का प्रभारी हो ।
- v) लोको पायलट को अग्रिम प्रस्थान सिगनल "आन" स्थिति में पार करने एवं परिस्थितियों से अवगत कराते हुये आउटर तक शन्टिंग करने हेतु शन्टिंग आदेश टी-806 दिया जाय ।

8.4.1. शन्टिंग पर प्रतिबन्ध :

- (क) जो लाइन पृथक नहीं है, उसपर आने वाली गाड़ी के लिये जब सिगनल "आफ" कर दिये गये हो, तो उन काँटों की ओर जिन से आने वाली गाड़ी गुजरेगी, कोई शन्टिंग संचालन नहीं किया जायेगा। (सहायक नियम 8.10(2) देखें)
- (ख) रामनगर छोर की ओर 500 में 1 का ऊर्ध्वगामी ढलान तथा बाजपुर की ओर 360 में 1 का अधोगामी ढलान होने के कारण, हैण्ड शन्टिंग की अनुमति नहीं है।

(अतुल सिंह)

मण्डल सिगनल एवं दूरसंचार/इज्जतनगर

(के०एस०सोनाल)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक/इज्जतनगर

8.4.2. शंटिंग का कोई विशेष पहलू :

शंटिंग के समय शंटिंग मास्टर/गार्ड के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे :-

1. सामान्य पर्यवेक्षण
2. सही वैगनों / वाहनों को जोड़ना / काटना और ठीक-ठीक मार्शलिंग कराना
3. यह सुनिश्चित करना कि शंटिंग समाप्त हो जाने के बाद वाहनों/ध्वेगनों की कपलिंग ठीक ढंग से जोड़ दी गयी है।
4. गाड़ी के उस हिस्से के साथ -साथ रहना जिसकी शंटिंग की जा रही है तथा कॉटों की सही सैटिंग एवं लाकिंग सुनिश्चित करना । (सहायक नियम 5.14(1),(2) व (3) , 3.39 (ii))
5. शंटिंग के दौरान हैण्ड सिगनल दिखाना
6. नान सिगनल मुवमेन्ट के समय कांटो को क्लैम्प पैड लाक होना सुनिश्चित कर लेने के बाद ही हैण्ड सिगनल दिखाना ।

8.5. स्टेशन यार्डध्मालगोदाम से निकलने वाली साइडिंग में शंटिंग :

साइडिंग लाइनों में शंटिंग करने हेतु कॉटों के सैटिंग एवं लाकिंग के लिये परिशिष्ट 'ख' तथा स्टेशन संचालन का पैरा 4ण2 का अनुपालन किया जायेगा।

8.6. बहिवर्ती (आउट लेइंग) साइडिंग की कार्य विधि, यदि हो तो : कुछ नहीं।**9. असामान्य परिस्थितियाँ :****(क) असामान्य कार्य संचालन के दौरान गाड़ियों के संचलन हेतु पालन की जाने वाली प्रक्रिया :**

ट्रेन सिगनलिंग उपकरणों के विफल हो जाने पर लाइन क्लीयर संदेश ब्लाक टेलीफोन/बी०एस०एन०एल०फोन या कन्ट्रोल टेलीफोन अथवा वी०एच०एफ०सैट द्वारा ही दिया जाना चाहिये ।

(विशेष रूप से साधारण एवं सहायक नियम 14.13 तथा 14.25 तथा साधारण एवं सहायक नियम पुस्तक का परिशिष्ट "घ" भी देखें)

टिप्पणी :

1. ब्लाक टेलीफोन यन्त्र अथवा बी०एस०एन०एल०फोन अथवा वी०एच०एफ०सैट से लाइन क्लीयर संदेश भेजते समय दूसरे छोर के स्टेशन का वास्तविक नाम सुनिश्चित करने के लिये विशेष सावधानी बरतनी आवश्यक है, क्योंकि टेलीफोन के किसी अन्य स्टेशन से सम्पर्क स्थापित हो जाने की सम्भावना रहती है ।
- 2.(क) नियन्त्रक के माध्यम से अथवा बी०एस०एन०एल०फोन से लाइन क्लीयर माँगने वाला स्टेशन मास्टर तब यह सुनिश्चित करने के लिये कि सही स्टेशन मास्टर बोल रहा है, अपने स्टेशन, जहाँ से लाइन क्लीयर माँगा जा रहा है, पर आने और/या जाने वाली दो पूर्ववर्ती गाड़ियों के आगमन और/या प्रस्थान का समय बतायेगा। उसी प्रकार दूसरे सिरे वाला स्टेशन मास्टर भी अपने स्टेशन पर आने और/या जाने वाली दो पूर्ववर्ती गाड़ियों के आगमन और/या प्रस्थान का समय लाइन क्लीयर माँगने वाले स्टेशन मास्टर को बतायेगा ।
- 2.(ख) **वी०एच०एफ०सैट के द्वारा लाइन क्लीयर लेते एवं देते समय निम्न लिखित निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा :-**
 - (i) वी०एच०एफ०सैट द्वारा लाइन क्लीयर माँगने / देने वाला स्टेशन मास्टर अन्तिम आने वाली तीन गाड़ियों के लाइन क्लीयर प्राप्त करने एवं ब्लाक खण्ड में प्रवेश करने तथा खाली करने के समय तथा प्राइवेट नम्बर को बतायेगा।

स्टेशन संचालन नियम सं० इज्जत/62

काशीपुर

- (ii) लाइन क्लीयर तभी लिया धदिया जाय जब वी०एच०एफ०सेट की आवाज स्पष्ट हो। यदि आवाज स्पष्ट नहीं है, अथवा इन्डक्शन या डिस्टरबेंस है, तो इसका प्रयोग न किया जाय।
- (iii) जब वी०एच०एफ०सेट पर लाइन क्लीयर लेनेधेने में कोई सन्देह हो तो इसका प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में कार्यरत स्टेशन मास्टर/सस्टेमा० संरक्षित कार्यवाही नियमानुसार करने के लिये उत्तरदायी है।
- (iv) वी०एच०एफ०सेट पर केवल तीन गाड़ियों का लाइन क्लीयर लिया/दिया जा सकता है। तत्पश्चात खण्ड के यातायात निरीक्षक या सुपरवाइज़री स्टेशन मास्टर या निकट के सुपरवाइज़री स्टेशन मास्टर की उपस्थिति में ही लाइन क्लीयर लिया/दिया जाय।
- 2.(ग) लाइन या किसी गाड़ी की दुर्घटना, असामान्य घटना या संचार साधनों की विफलता या व्यवधान की दशा में या किसी आपात स्थिति में स्टेशनो के मध्य गाड़ियों का संचालन विशेष निर्देशानुसार होगा।
(विशेष रूप से साधारण एवं सहायक नियम 6.01 से 6.11 देखें)
3. लाइन पर अवरोध या दुर्घटना आदि के मामले में अवरोधित ब्लाक खण्ड में टी-ए/602 प्रस्थान आदेश जारी किया जायेगा।
4. ब्लाक खण्ड में रूकी हुई गाड़ियों के मामले में सहायक नियम 6.04(1)(d) तथा सहायक नियम 6.09(1)(2)(3) का अनुपालन किया जायेगा।
- 9.(ख) कैन्क हैण्डिल द्वारा काँटों के आकस्मिक परिचालन के लिये कार्य विधि :-
इस स्टेशन पर कैंक हैण्डिल की व्यवस्था नहीं है।
- 9.(ग) कॉलिंग 'आन' सिगनल परिचालन से पूर्व रेल पथ के क्लीयरेंस का प्रमाण :-
इस स्टेशन पर कॉलिंग आन सिगनल का प्रावधान नहीं है।
- 9.(घ). काँटों, ट्रैक सर्किट/ एक्सिल काउन्टर और अन्तर्पाशन के खराब हो जाने पर रिपोर्ट करना :
संकेतन परिशिष्ट "ख" का पैरा 10 को देखें।
- 9.1 संचार साधनों की पूर्ण विफलता :
1. संचार साधनों की पूर्ण विफलता का अर्थ है :-
साधारण और सहायक नियम पुस्तक के परिशिष्ट 'ख' में दिये गये निम्नलिखित संचार साधनों में से किसी के द्वारा दूसरे छोर पर स्थित ब्लाक स्टेशन से सम्पर्क स्थापित करने में असफलता जैसे
- (क) ब्लाक उपकरण, ट्रैक सर्किट या एक्सिल काउन्टर।
(ख) ब्लाक उपकरणों से जुड़े टेलीफोन,
(ग) एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन से जुड़े स्थिर फोन, यदि उपलब्ध हैं।
(घ) स्थिर टेलीफोन जैसे रेलवे ऑटोफोन या बी०एस०एन०एल०फोन
(ङ) नियन्त्रण दूरभाष ,
(च) वी० एच० एफ० सेट
2. इकहरी लाइन पर संचार साधनों के पूरी तरह अवरुद्ध हो जाने पर गाड़ी संचालन :
किसी ब्लाक खण्ड में गाड़ी को सीधे भेजने से पहले निम्न के द्वारा संचार खोलना चाहिये :-
(क) खाली इंजन (लाइट इंजन) द्वारा।

- (ख) गाड़ी के इंजन द्वारा ।
 (ग) मोटर ट्राली के साथ गार्ड या स्टेशन मास्टर ।
 (घ) ट्राली, के साथ गार्ड या स्टेशन मास्टर ।

टिप्पणी :- संचार खोलने के लिये पूरी गाड़ी नहीं भेजनी चाहिये ।

3 संचार खोलने के लिये निम्न प्रक्रिया अपनायी जायेगी -

क्रम	प्रेषण छोर पर तैनात स्टेशन मास्टर	प्राप्त छोर पर तैनात स्टेशन मास्टर
1.	संचार खोलने के लिये जा रहे इंजन के चालक या ट्राली के प्रभारी को निर्धारित प्रपत्र टी/ बी 602 'इकहरी लाइन पर संचार साधनों के पूर्णतः बाधित होने पर संचार साधन चालू करने के लिये प्राधिकार' सौंपा जायेगा जिसमे निम्नलिखित समावेशित होगा	निर्धारित सीटी कोड को सुनने पर या आगमन सिगनल को "टेक आफ" करने की सूचना मिलने पर आगमन सिगनलों को 'टेक आफ' करेगा या लिखित प्राधिकार टी-369(3बी) भेजकर वाहन को पायलट करते हुए अन्दर आने देगा । अन्दर आने पर चालक/प्रभारी से टी/बी 602 और टी/ई 602 प्राप्त करेगा ।
(क)	लाइन क्लीयर के बिना प्रस्थान प्राधिकार	
(ख)	सतर्कता आदेश जिसमें वह गति अंकित होगी जिस पर प्रभावित ब्लाक खण्ड में इंजन या स्वनोदित वाहन चल सकता है ।	
(ग)	अन्तिम रोक सिगनल को "आन" स्थिति में पार करने का प्राधिकार ।	
(घ)	प्रभावित ब्लाक खण्ड के दूसरी ओर के ब्लाक स्टेशन के स्टेशन मास्टर के नाम लाइन क्लीयर इनक्वायरी संदेश जिसमे प्रतीक्षारत गाड़ी के लिये लाइन क्लीयर के लिये कहा जायेगा ।	
(ङ)	प्रभावित ब्लाक खण्ड के दूसरी ओर के ब्लाक स्टेशन के स्टेशन मास्टर के नाम सशर्त लाइन क्लीयर संदेश जिसमे इंजन के खाली या किस गाड़ी के साथ या मोटर ट्राली के अकेले चलकर या गाड़ी में लादकर वापस आने के लिये अनुमति दी गयी हो ।	

(अतुल सिंह)

मण्डल सिगनल एवं दूरसंचार/इज्जतनगर

(के0एस0सोनाल)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक/इज्जतनगर

2.	यदि प्रेशक स्टेशन की ओर से गाड़ियों का फ़्लो अधिक हो तो प्रतीक्षरत गाड़ी के पीछे जाने वाली गाड़ियों का लाइन क्लीयर पूछताछ संदेश भी प्राधिकार टी ६ ई 602 पर भर कर भेजा जायेगा ।	2.इंजन या स्वनोदित वाहन को लौटने के लिये दिशा के अनुसार 'सशर्त लाइन क्लीयर टिकट' टी/जी 602 या टी/एच 602 दूसरे स्टेशन पर प्रतीक्षरत गाड़ी/गाड़ियों के लिए 'सशर्त लाइन क्लीअर संदेश' प्राधिकार टी/एफ 602, अपने स्टेशन से जाने वाली गाड़ियों के लिए लाइन क्लीअर इन्क्वायरी संदेश टी/ई 602 तथा अपने स्टेशन के अंतिम रोक सिगनल को पार करने के लिए टी 369 (3बी) एवं खण्ड में प्रभावी सतर्कता आदेश टी 409 पर लिखकर चालक/प्रभारी को सौंपे जायेंगे ।
----	--	---

टिप्पणी :

- (क) संचार खोलने के लिये इंजन/स्वनोदित वाहन भेजने के पश्चात उसके भेजने के समय से उसके लौटने के समय तक, सबसे बाहर के सम्मुख काँटों के आगे लाइन को अवरुद्ध नहीं किया जायेगा ।
- (ख) एक ही दिशा में 30 मिनट के अन्तराल में एक दूसरे के पीछे एक से अधिक गाड़ियाँ चल सकती हैं यदि इस मामले में बाद वाली सभी गाड़ियों के लिये अग्रिम लाइन क्लीयर प्राप्त कर लिया गया हो । सभी गाड़ियों के चालकों को दिशा के अनुसार 'सशर्त लाइन क्लीअर टिकट' प्राधिकार टी/जी 602 या टी/एच 602 सौंपा जायेगा । इस प्राधिकार पर आगे जाने वाली गाड़ी और पीछे जाने वाली गाड़ियों का विवरण प्रास्थान समय के साथ अंकित किया जायेगा ।
जब कोई गाड़ी पीछा कर रही हो तो उसका चालक कड़ी निगरानी रखेगा, जब दृश्यता साफ हो तो 25 किलोमीटर प्रति घंटा और जब दृश्यता साफ न हो तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा या इससे कम गति से आगे बढ़ेगा ।

4. सामान्य कार्य संचालन पुनः चालू करने के लिये सावधानियाँ :

- (क) किसी भी संचार साधन के फिर से चालू हो जाने पर प्राधिकार टी/आई 602 पर संचार साधन चालू होने के संदेश का आदान प्रदान किया जायेगा ।
- (ख) किसी भी तरह से संचार साधन फिर से चालू हो जाने पर यह सुनिश्चित किया जाय कि सामान्य काम-काज शुरु होने से पहले बिना लाइन क्लीयर आगे बढ़ने का प्राधिकार ले चुकी या सशर्त लाइन क्लीअर टिकट ले चुकी गाड़ी खण्ड पर न हों । ऐसे सशर्त लाइन क्लीअर संदेश जो जारी किये जा चुके हों परन्तु उनके आधार पर गाड़ियाँ संचालित न हुई हों को रद्द कर दिया जाना चाहिए ।

9.2. दोहरी लाइन पर अस्थायी रूप से इकहरी लाइन का संचालन : कुछ नहीं ।**9.3. बिना लाइन क्लीयर के प्रस्थान प्राधिकार पर या दुर्घटनाग्रस्त गाड़ियों की सहायतार्थ गाड़ियों का प्रस्थान :**

अवरोध की सही स्थिति सुनिश्चित करने के बाद प्रेषक स्टेशन का स्टेशन मास्टर आक्यूपाइड ब्लाक सेक्शन में राहत इंजन/गाड़ी ले जाने के लिए प्राधिकार टी/ए 602 के निर्धारित फार्म पर चालक को सौंपेगा ।

विशेष रूप से सहायक नियम 6.02, 6.08 (i) (ii) (iii), 6.09 (ii) (iii) (1) (2) (3) देखें ।

(अतुल सिंह)

मण्डल सिगनल एवं दूरसंचार/इज्जतनगर

(के०एस०सोनाल)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक/इज्जतनगर

स्टेशन संचालन नियम सं० इज्जत/62

काशीपुर

- 9.4 **कार्यरत स्टेशन मास्टर एवं केबिन मैन के मध्य संचार विफलता की दशा में कार्य संचालन :-**
कार्यरत स्टेशन मास्टर तथा केबिन मैन के मध्य संचार विफलता की अवधि में स्टेशन मास्टर किसी सिगनल को झुकाने अथवा केबिन की ओर किसी संचालन की अनुमति तब तक नहीं देगा जब तक कि वह केबिन मैन से मार्ग के सही सैट होने को स्टेशन पर अनुरक्षित निम्नलिखित पंजिका में लिखित पावती प्राप्त न कर ले।

स्टेशन मास्टर द्वारा भरा जाय						
तिथि	गाड़ी संख्या	नियत संख्या	लाइन	गोपनीय संख्या	केबिन को भेजने का समय	स्टेशन मास्टर के हस्ताक्षर
1	2	3		4	5	6
केबिन मैन द्वारा भरा जाय						
सैट की गयी संख्या	लाइन	केबिन मैन की गोपनीय संख्या		पंजिका स्टेशन पर वापस करने का समय		केबिन मैन का हस्ताक्षर
1		2		3		4

यह पंजिका स्टेशन के किसी कर्मचारी द्वारा केबिन मैन के पास भेजी जायेगी। केबिन मैन मार्ग को सही सैट करके तथा पाशित करके पंजिका में प्रविष्टी करके हस्ताक्षर करेगा तत्पश्चात स्टेशन मास्टर को लौटा देगा।

10. **दृश्यता परीक्षण लक्ष्य :**

- (क) **अप छोर :-** दिन में डाउन होम सिगनल की भुजा संख्या 22 तथा रात्रि में उसके पीछे की बत्ती का प्रकाश जैसा कि कार्यरत स्टेशन मास्टर को 180 मीटर की दूरी से दिखाई देता हो।
(ख) **डाउन छोर :-** दिन में अप होम सिगनल की भुजा संख्या 27 तथा रात्रि में उसके पीछे की बत्ती का प्रकाश जैसा कि कार्यरत स्टेशन मास्टर को 180 मीटर की दूरी से दिखाई देता हो।
(विशेष रूप से साधारण एवं सहायक नियम 3.61(2)(क) देखें)

11. **इस स्टेशन के आवश्यक उपस्कर :** परिशिष्ट "ड" देखें ।

12. **कोहरे के समय बुलाये जाने वाले फाग सिगनलमैनो के नाम :**

कोहरे के समय फ्रॉग सिगनल मैन के रूप में कार्य करने वाले कर्मचारियों के नाम की सूची उनके नाम तथा पद को अंकित करते हुए स्टेशन पर अनुरक्षित फॉग सिगनल पंजिका में अलग से तैयार की जायेगी ।

13. **परिशिष्टों की सूची :**

- परिशिष्ट "क" समपार फाटको का संचालन
परिशिष्ट "ख" संकेतन एवं अर्न्तपाशन की पद्धति
परिशिष्ट "ग" टक्कर रोधी उपकरण (रक्षा कवच)
परिशिष्ट "घ" गाड़ी परिचालन कर्मचारियों के कर्तव्य
परिशिष्ट "ङ" स्टेशन के आवश्यक उपस्कर
परिशिष्ट "च" डी०के०स्टेशन, हाल्ट, आई०बी०एच०, आई०बी०एस० और बाहरी साइडिंगों के संचालन नियम
परिशिष्ट "छ" विद्युतीकृत खण्डों पर गाड़ियों के परिचालन के लिये नियम

टिप्पणी : इन नियमों को किसी भी स्थिति में साधारण एवं सहायक नियमों को रद्द करके, संशोधित करके या सुधार करके न पढ़ा जाय ।

(अतुल सिंह)

(के०एस०सोनाल)

संचालन नियम सं० इज्जत/ 62

काशीपुर

परिशिष्ट 'ग'

टक्कर रोधी उपकरण (रक्षा कवच)

“ कुछ नहीं ”

(के०एस०सोनाल)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा)/इज्जतनगर

परिशिष्ट "घ"**1. गाड़ी परिचालन कर्तव्यों के अर्न्तगत स्टेशन मास्टर/स्टेशन अधीक्षक के कर्तव्य**

- (क) स्टेशन मास्टर/स्टेशन अधीक्षक, स्टेशन का सर्वोपरि पर्यवेक्षकीय प्रभारी होता है और वह सामान्यतः स्टेशन के सही, सक्षम एवं सुरक्षित कार्य के लिये पूर्ण रूपेण उत्तरदायी है। कार्य क्षमता के स्तर को बनाये रखने और बढ़ाने के लिये यह उसका कर्तव्य है कि वह हर श्रेणी के कर्मचारी के मध्य अपनी उपस्थिति का आभास कराये और सद्व्यवहार बनाये रखें। **उसकी डियूटी में यह भी शामिल है :-**
1. स्टेशन पर कार्यरत सभी कर्मचारियों का सामान्य पर्यवेक्षण।
 2. आवधिक जॉच के माध्यम से यह सुनिश्चित करना कि हर श्रेणी का कर्मचारी अपना काम अपने रोस्टर के अनुसार सही तथा सुरक्षित ढंग से कर रहा है।
 3. कर्मचारियों को अपने कार्यों से सम्बन्धित सभी नियमों की भलीभाँति जानकारी है, को सुनिश्चित करने के लिये स्टाफ का आवधिक परीक्षण तथा जॉच करना।
 4. कर्मचारियों को दुर्घटना से बचाव तथा कार्य को सुरक्षित एवं सही ढंग से करने हेतु शिक्षित करना।
 5. समय-समय पर दिन और रात में सिगनलो, सहायक स्टेशन मास्टर कार्यालय और केबिनो तथा नियम पुस्तको, डायरियों, गाड़ी रजिस्टरो एवं अन्य रजिस्टरो-प्रपत्रों आदि का निरीक्षण करना।
 6. यार्ड और यार्ड उपकरणों का आवधिक निरीक्षण।
 7. मार्शलिंग यार्ड, रिपैकिंग शोड, गुड्स शोड, पार्सल कार्यालय और बुकिंग कार्यालय का आवधिक निरीक्षण।
 8. आश्वासन पंजिका और स्टेशन संचालन नियमों का रख-रखाव।
 9. सभी अनियमितताओं और नियमों के उल्लंघन की रिपोर्ट एवं निस्तारण करना।
 10. (क) यार्ड में किसी बदलाव की आवश्यकता को देखते हुये सामान्य कार्य में सुधार या सुरक्षित कार्य को सुनिश्चित करने के सुझावों सहित सुझाव का मार्ग और ढंग बताना।
- (ख) जब स्टेशन मास्टर को गाड़ी परिचालन कार्य भी करना है, तब वह निम्न पैरा (ग) के अर्न्तगत सहायक स्टेशन मास्टर के कर्तव्यों के लिये भी उत्तरदायी है।
- (ग) इस स्टेशन पर नियुक्त स्टेशन अधीक्षक/स्टेशन मास्टर, स्टेशन पर होने वाले सभी कार्यों के लिये पूर्ण रूप से उत्तरदायी होने के साथ-साथ कोचिंग/गुड्स यार्ड और कोचिंग स्टाफ का पर्यवेक्षण विशेष रूप से करेंगे।
- (घ) शंटिंग प्रचालनों का पर्यवेक्षण करेंगे।

(के0एस0सोनाल)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक/इज्जतनगर

2. परिचालन कर्तव्यों के अन्तर्गत सहायक स्टेशन मास्टर के कर्तव्य :

कार्यरत सहायक स्टेशन मास्टर, स्टेशन पर और गाड़ियों के संचालन, आगमन एवं प्रस्थान के मामलों में प्रभारी होगा। गाड़ियों के संचालन से सम्बन्धित सभी कर्मचारी उसके आदेश और निर्देश के अनुसार कार्य करेंगे। उसकी डियूटी में यह भी शामिल है :-

1. यार्ड, कॉटों, सिगनलों, कॉटा संकेतकों, एवं अन्य संरक्षा उपकरणों, निजी संख्या पुस्तिका और सामान्य एवं असामान्य कार्य प्रणाली के लिये वॉछित सभी पुस्तकों आदि की स्थिति की जानकारी मुक्त होने वाले सहायक स्टेशन मास्टर से करें। यह भी सुनिश्चित करें कि परिचालन परिपत्र के पैरा 43(3) (ख) (IV) में निहित मदों के आधार पर स्टेशन डायरी में खराब या अन्य मदों का उल्लेख कर दिया गया है।
2. अपनी डियूटी की पारी में आने एवं जाने वाली सभी गाड़ियों के लिये आगमन अनुमति एवं प्रस्थान प्राधिकारों का देना तथा प्राप्त करना।
3. ब्लाक उपकरणों का संचालन एवं नियन्त्रण दूरभाष पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहना।
4. साधारण एवं सहायक नियम तथा स्टेशन कार्य प्रणाली के अनुसार सभी गाड़ियों का आगमन तथा प्रस्थान सुनिश्चित करना।
5. सभी सिगनल प्रचालनों का नियन्त्रण।
6. शन्टिंग प्रचालनों का पर्यवेक्षण।
7. जाने वाली गाड़ियों के चालको को जब जैसी आवश्यकता हो, सतर्कता आदेश एवं सिगनल खराबी की सूचना जारी करना।
8. स्टेशन डायरी का अनुरक्षण।
9. गोपनीय संख्या पुस्तिका तथा ग्लाज़ड केस की चाबी को व्यक्तिगत अभिरक्षा में रखना।
10. कर्मचारियों के कार्यों का पर्यवेक्षण।
11. जब स्टेशन मास्टर डियूटी पर नहीं हो, तो स्टेशन की सामान्य देख-रेख करना।

3. गाड़ी परिचालन कर्तव्यों के अन्तर्गत केबिनमैन के कर्तव्य

केबिनमैन अपने प्रभार में केबिन के कार्य के लिये उत्तरदायी होगा। उसकी सहायता के लिये उपलब्ध सभी कर्मचारी उसके आदेश और निर्देश के अनुसार कार्य करेंगे। इसके साथ ही, उसके कर्तव्य में यह भी शामिल है :-

1. यह सुनिश्चित करना कि गाड़ियों के आगमन के लिये मार्ग ठीक-ठीक तथा समय से बना हुआ है।
2. यह सुनिश्चित करना कि गाड़ियों के प्रस्थान के लिये मार्ग ठीक-ठीक तथा समय से बना हुआ है।
3. दिन में पिछले बोर्ड को तथा रात्रि में पिछली बत्ती का प्रकाश देखकर, गाड़ियों के पूर्ण रूप से आने और जाने को व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित करना तथा कार्यरत स्टेशन मास्टर को प्राइवेट नं0 के साथ इसकी सूचना देना।
4. आने वाली तथा जाने वाली सभी गाड़ियों के लिये केबिन से प्रस्थान सिगनल के दिखाये जाने को सुनिश्चित करना।
5. यह सुनिश्चित करना कि उसके केबिन के अधिकार क्षेत्र में आने वाले समपार फाटक समय से बन्द कर दिये गये हैं और यह भी कि सड़क यातायात को अनपेक्षित विलम्ब न हो।

(के0एस0सोनाल)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक/इज्जतनगर

6. केबिन तथा सिगनलो के कार्य संचालन में किसी खराबी के बारे में कार्यरत सहायक स्टेशन मास्टर को अविलम्ब सूचित करना।
7. अपने केबिन के अधिकार क्षेत्र में इंजनो के संरक्षित प्रवेश एवं वहीं से प्रस्थान में सहायक होना और होम सिगनल के बाहर एवं अपनी केबिन से नियन्त्रित परिचालित लाइनो पर शंटिंग के लिये दी जाने वाली अनुमति की सूचना स्टेशन मास्टर को देना।
8. जब आवश्यकता हो, तो सिगनल, कॉटा संकेतकों एवं स्टेशन के अन्य लैम्पों की सफाई, उनको जलाना एवं बुझाना।

4. गाड़ी परिचालन कर्तव्यों के अन्तर्गत फाटकवाला के कर्तव्य

फाटकवाला के कर्तव्यों के लिये संचालन नियमों के साथ संलग्न सम्बन्धित गेट परिशिष्ट में दिये गये निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।

5. गाड़ी परिचालन कर्तव्यों के अन्तर्गत काँटावाला के कर्तव्य

डियूटी पर कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा गाड़ियों के आगमन और प्रस्थान एवं स्टेशन पर गाड़ियों की शंटिंग के सम्बन्ध में दिये गये आदेशों का पूरी तरह से अनुपालन करने हेतु कार्यरत काँटावाला उत्तरदायी है। स्टेशन के कार्यों के सुरक्षित तथा त्वरित गति से करने के लिये काँटावाला को कार्यरत स्टेशन मास्टर के आदेशों का पालन करना है। उसकी डियूटी में यह भी शामिल है :-

गाड़ियों के आगमन / प्रस्थान एवं शंटिंग के लिये उसके निम्न कर्तव्य होंगे :

1. सभी स्टाप सिगनलों के लाल शीशों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
2. सुनिश्चित करना कि लाइन सभी अवरोधों से मुक्त एवं साफ है।
3. दिन के समय टेल बोर्ड तथा रात्रि में फ्लैशर टाइप टेल लैम्प का प्रकाश देखकर गाड़ी के पूरी आने-जाने को सुनिश्चित करना।
4. कार्यरत स्टेशन मास्टर के दिशा-निर्देश एवं गाड़ी के गार्ड/शंटिंग मास्टर के पर्यवेक्षण स्टेशन अधीक्षक के पर्यवेक्षण में गाड़ियों की स्टेशन पर शंटिंग करना। शंटिंग के दौरान नान सिगनल मूवमेन्ट होने पर फेसिंग कांटो को क्लैम्प पैड लाक करना।
5. आवश्यकता पड़ने पर गाड़ियों का पथ प्रदर्शन करना।
6. कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा दिये गये आदेशों के अनुसार फाग सिगनल लगाना
7. स्टेशन लैम्पों को जलाना-बुझाना तथा साफ रखना।
8. उसके प्रभार में कॉटों का सामान्य अनुरक्षण तथा उन्हें पत्थर की गिट्टी और धूल आदि से साफ रखना।
9. **कार्यरत स्टेशन मास्टर को तुरन्त रिपोर्ट करना :-**
 - i) सिगनल, कॉटों, क्रॉसिंग गार्ड रेलों आदि की खराबी या क्षति के सम्बन्ध में।
 - ii) रेल की सुरक्षा अथवा कार्य में बाधा होने वाली कोई घटना जो उसकी जानकारी में आती है।
12. स्टेशन पर काटे गये खाली वाहनो की तलाशी लेना तथा उसमें कुछ पाये जाने पर स्टेशन मास्टर को अवगत कराना।
13. स्टेशन पर वाहनो को संरक्षा जंजीरों एवं ताले द्वारा सुरक्षित करना।

(के०एस०सोनाल)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक/इज्जतनगर

टिप्पणी :-जब कॉटें, कॉटेवालें द्वारा प्रचालित होते हैं, तब वह उनका पूर्ण प्रभारी होगा। वह कॉटों के सामान्य अनुरक्षण और पत्थर की गिट्टी एवं धूल आदि से साफ रखने के लिये उत्तरदायी है। वह कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा दिये गये आदेशों का पालन करेगा। यदि उसको, कॉटों के परिचालन का कार्य करने के लिये लगाया जाता है तो संचलन समाप्त होने पर उन्हें पूर्व स्थिति में लायेगा। यदि उसे कॉटों, स्विचों और गार्ड रेलों आदि के संचलन में कमी ज्ञात होती है या अन्य किसी ऐसी घटना जिससे सुरक्षित एवं उपयुक्त रेल कार्य में बाधा पहुँच सकती है, तो उसकी जानकारी कार्यरत स्टेशन मास्टर को देना।

(गाड़ी परिचालन कर्मचारियों के कर्तव्यों के लिये विस्तृत विवरण
परिचालन नियमावली अध्याय 3 देखें)

परिशिष्टि 'ड'

स्टेशन पर आवश्यक उपकरण :

इस स्टेशन पर निम्नलिखित संरक्षा उपस्कर आवश्यक रूप से रहेगें।

- | | | |
|----|---------------------------------|--|
| 1. | हाथ सिगनल बत्ती | – 10 ट्राई कलर फ्लैशिंग टाइप
– 10 के०आयल गे सं० |
| 2. | हाथ सिगनल झण्डी | – 10 हरी तथा 16 लाल |
| 3. | पटाखा सिगनल | – 100 |
| 4. | सुरक्षा जंजीरे | – 10 तालो सहित |
| 5. | क्लैम्प | – 10 तालो सहित |
| 6. | अग्निशामक यंत्र(डी०सी०पी० टाइप) | – 04 |
| 7. | फायर बकेट | – 12 |
| 8. | प्राथमिक चिकित्सा पेटी | – 01 |
| 9. | लकड़ी के गुटके | – 15 |

(के०एस०सोनाल)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक/इज्जतनगर

परिशिष्ट 'च'

डी०के०स्टेशन, आई०बी०एच०,आई०बी०एस० और बाहरी साइडिंगों के संचालन नियम

“ कुछ नहीं ”

(के०एस०सोनाल)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा)/इज्जतनगर

संचालन नियम सं० इज्जत/62

काशीपुर

परिशिष्ट 'छ'

विद्युतीकृत खण्ड पर गाड़ियों के परिचालन के नियम

“ कुछ नहीं ”

(के०एस०सोनाल)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा)/इज्जतनगर